

Date: 7th June, 2025

AX1/ISD/STEX/38/2025-26

The Vice President	The Vice President
BSE Ltd.	National Stock Exchange of India Ltd.
P. J. Towers	Exchange Plaza
Dalal Street	Bandra Kurla Complex
Mumbai-400 001	Bandra (East), Mumbai-400 051
BSE Scrip Code: 532525	NSE Scrip Code: MAHABANK

Dear Sir / Madam,

Sub: Notice of 22nd Annual General Meeting (AGM)

With reference to the captioned subject, please find enclosed the Notice of 22nd Annual General Meeting (AGM) of the Bank scheduled on **Monday**, **30**th **June 2025** at 11.00 a.m. (IST) via Video Conferencing (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM).

Following agenda items will be transacted at the AGM:

Sr. No.	Particulars		
	Ordinary Business:		
1	To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March, 2025, and the Profit and Loss Account for the year ended on that date, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditor's report on the Balance sheet and accounts.		
2	To declare dividend on the Equity Shares of the Bank for the FY 2024-25.		
	Special Business:		
3	To consider raising of Equity Capital aggregate upto Rs.7,500/- crore through various modes as mentioned in the Notice.		
4	To approve appointment of M/s Joshi & Joshi as Secretarial Auditor for a consecutive term of 5 years from FY 2025-26 to 2029-30.		
5	To conduct Election of One Director from amongst Shareholders of the Bank other than the Central Government.		

Cut- Off Date for Agenda Item No 1, 2, 3, 4: Voting rights of the Shareholders in respect of all agenda items shall be reckoned as on Monday, 23rd June 2025.

Specified Date (Agenda Item No. 5): Bank has fixed Friday, 23rd May 2025 as the Specified / Cut-off-Date for the purpose of ascertaining the Shareholders of Bank eligible to participate i.e. to





Nominate, Contest and Vote in the election process of One Director of Bank of Maharashtra to be elected by the Shareholders other than the Central Government.

Submission of nomination form for election of Shareholder Director: The last date of submission of nomination form for election of Shareholder Director is revised to 13th June 2025 on or before 5.00 p.m.

E-voting period: The remote e-voting period shall commence on from 09:00 a.m. on Thursday, 26th June 2025 till 05:00 p.m. on Sunday, 29th June 2025.

Please disseminate the above-mentioned information for the benefit of all shareholders.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Bank of Maharashtra

(Vishal Sethia) Company Secretary

Encl: As above



22वीं वार्षिक साधारण बैठक की सूचना

दिनांक: सोमवार, 30 जून, 2025

Notice for 22nd **Annual General Meeting**

Date: Monday, 30th June, 2025





अनुसूची / INDEX

1	नोटिस	03
2	टिप्पणियां	07
3	ई-वोटिंग प्रक्रिया	12
4	एजेंडा मद क्रमांक 3 से 5 के लिए स्पष्टीकरण कथन	18
5	Notice	38
6	Notes	42
7	E-voting Process	46
8	Explanatory Statement for Agenda Items No.3 To 5	50

22वीं वार्षिक साधारण बैठक / 22nd Annual General Meeting

महत्वपूर्ण दिनांक और कार्यक्रम / Important Dates And Programme

कार्यक्रम / Events	दिनांक / Dates
लाभांश का रिकॉर्ड दिनांक Record Date for Dividend	शुक्रवार, 9 मई, 2025 Friday, 9 th May, 2025
ई-वोटिंग अवधि E-voting period	गुरुवार , 26 जून, 2025 को सुबह 9.00 बजे से रविवार , 29 जून, 2025 को शाम 5.00 बजे तक। From 09:00 a.m. on Thursday , 26 th June, 2025 till 05:00 p.m. on Sunday, 29 th June, 2025
वार्षिक साधारण बैठक का दिनांक और समय Date and time of Annual General Meeting	सोमवार, 30 जून, 2025 को सुबह 11.00 बजे (आईएसटी) विडियो कॉन्फरेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) द्वारा Monday, 30 th June, 2025 at 11.00 a.m. (IST) via Video Conferencing(VC) or Other Audio-Visual Means (OAVM)

टिप्पणी: कृपया बैंक की 22वीं वार्षिक साधारण बैठक में वीसी या ओएवीएम द्वारा ई-वोटिंग, सहभाग लेने और शामिल होने से संबंधित निर्देशों के लिए पृष्ठ संख्या 12 से 18 देखें।

Note: Please refer to page no. 46 to 50 for instructions related to e-voting, participation and joining the 22nd Annual General Meeting of Bank through VC or OAVM.

बैंक ऑफ महाराष्ट्र

प्रधान कार्यालय: "लोकमंगल", 1501, शिवाजीनगर, पुणे – 411 005

नोटिस

एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयरधारकों की **बाइसवीं (22वीं) वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) सोमवार, 30 जून, 2025 को सुबह 11.00 बजे** विडियो कॉन्फरेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) द्वारा निम्नलिखित के लिए आयोजित की जाएगी:

सामान्य कारोबार:

एजेंडा मद क्रमांक 1

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लेखापरीक्षित तुलन पत्र, लाभ और हानि खाते, खातों द्वारा कवर की गई अविध के लिए बैंक की गतिविधियों और कार्य पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और बैलेंस शीट तथा खातों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करना, उसे अनुमोदित व स्वीकार करना।

एजेंडा मद क्रमांक 2

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इक्विटी शेयरों पर लाभांश की घोषणा करना।

विशेष कारोबार:

एजेंडा मद क्रमांक 3

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर (एफपीओ)/राइट्स इश्यू/क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूआईपी)/अधिमानी इश्यू /ईएसपीएस या किसी अन्य तरीके या इनके संयोजन और/या बेसल III बॉन्ड या ऐसी अन्य प्रतिभूतियों के जारी करने के माध्यम से कुल रु.७,500 करोड़ (रुपए सात हजार पांच सौ करोड़) तक की पूंजी जुटाने के प्रस्ताव पर विचार करना, जैसा कि आवश्यक अनुमोदन के अधीन लागू कानूनों के अंतर्गत अनुमति दी जा सकती है।

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना तथा यदि उचित समझा गया तो विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

"प्रस्ताव किया जाता है कि फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर (एफपीओ) /राइट्स इश्यू /क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूआईपी)/अधिमानी इश्यू /ईएसपीएस या किसी अन्य तरीके या इनके संयोजन और/या बेसल III बॉन्ड या ऐसी अन्य प्रतिभूतियों के जारी करने के माध्यम से रु.7500 करोड़ (रु.सात हजार पांच सौ करोड़) तक पूंजी उगाही के लिए एतदद्वारा अनुमोदन प्रदान करना जैसा कि आवश्यक अनुमोदन के अधीन लागू कानूनों के अंतर्गत अनुमति दी जा सकती है।"

"प्रस्ताव किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 ("अधिनियम"), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 ("योजना") और बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर्स और बैठकें) विनियम, 2004 ("विनियम"), समय-समय पर यथासंशोधित, के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई"), भारत सरकार ("जीओआई"), भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ("सेबी") और/ या इस संबंध में आवश्यक किसी अन्य प्राधिकारी के अनुमोदन, सहमित, अनुमितयाँ, यिद कोई हों, के अधीन और इस प्रकार के अनुमोदन देने में उनके द्वारा निर्धारित किए गए आशोधनों, शर्तों और निबंधनों की शर्त पर जिन्हें बैंक का निदेशक मंडल स्वीकार कर सकता है, और विनियम यथा सेबी (पूंजी निर्गम एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018 ("आईसीडीआर विनियम") के अध्यधीन, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) की अधिसूचनाओं/परिपत्रों और बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 और अन्य लागू क़ानूनों व अन्य सभी संदर्भित प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए अनुसार यथा संशोधित/ अद्यतन दिशानिर्देशों, यिद कोई हों और सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं)

विनियम, 2015 के प्रावधानों के अधीन, एतद्द्वारा बैंक के शेयरधारकों की सहमित बैंक के निदेशक मंडल (इसके बाद जिसे "बोर्ड" कहा जाएगा जिसमें बोर्ड द्वारा गठित या इसके बाद गठित की जाने वाली कोई सिमित जो अपने अधिकारों तथा इस प्रस्ताव द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करेगी) को प्रदान की जाती है, जो बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ए) के अनुसार भारत और विदेशों में प्रस्ताव दस्तावेज़/ विवरणपत्र या ऐसे किसी अन्य दस्तावेज़ के माध्यम से बैंक की प्राधिकृत पूंजी सीमा के अंदर रु.10/- प्रत्येक के अंकित मूल्य के, समग्र रूप से जो रु.7500/- करोड़ (रु.सात हजार पांच सौ करोड़) से अधिक न हों, इिकटी शेयरों का (फर्म आंवटन के लिए और/अथवा निर्गम का कोई भाग प्रतिस्पर्धा आधार पर और यथासमय लागू कानून द्वारा अनुमत्य श्रेणी के व्यक्तियों हेतु आरक्षण के प्रावधान सिहत) इस प्रकार सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और आवंटन करेगा, तािक हर समय बैंक की प्रदत्त इिकटी पूंजी का 51% केंद्र सरकार के पास हो, चाहे वे बाजार मूल्य के प्रीमियम या छूट पर किसी एक या अधिक ट्रेंच, एक या अधिक शेयरधारकों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों ("एनआरआई"), कंपनियों - निजी या सार्वजिनक, निवेश संस्थानों, सोसायिटयों, न्यासों, अनुसंधान संगठनों, योग्य संस्थागत खरीदारों ("क्यूआईबी") जैसे विदेशी संविभाग निवेशकों ("एफपीआई"), बैंकों, वित्तीय संस्थानों, भारतीय म्युचुअल फंड, विदेशी उद्यम पूंजी निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगम, बीमा कंपनियों, भविष्य निधि, पेंशन फंड, विकास वित्तीय संस्थानों या अन्य इकाइयों, प्राधिकारियों या जो वर्तमान विनियमों/ दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक की इिकटी शेयरों /प्रतिभूति में निवेश करने के लिए अधिकृत हों या बैंक द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाले किसी भी संमिश्र के रूप में हों।

पह भी प्रस्ताव किया जाता है कि इस प्रकार का प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन या तो सार्वजिनक निर्गम, राईट्स इश्यू, योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी), अधिमानी इश्यू या तत्संबंधी संमिश्र अनुसार या अधि-आबंटन विकल्प के साथ या उसके बिना किया जाए या बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970, सेबी (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2018 ("आईसीडीआर विनियम") और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) व किसी भी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए सभी अन्य दिशानिर्देशों के अनुसार, ऐसे समय, उतनी बार में, ऐसी पद्धित से और ऐसी शर्तों पर किया जाए, जो निदेशक मंडल को उनके पूर्ण विवेकाधिकार से उचित लगता है।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि निदेशक मंडल को जहां आवश्यक हो, अग्रणी प्रबंधकों और/ या हामीदारों (अंडरराईटर) और/ या अन्य सलाहकारों के परामर्श से या अन्यथा, अपने पूर्ण विवेकाधिकार से, आईसीडीआर विनियम के अनुसार निर्धारित ऐसी शर्तों और दिशानिर्देशों, अन्य नियमों और किसी भी और सभी अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों के उपबंधों के अनुसार बैंक के निवेशक(कों), चाहें वे बैंक के मौजूदा शेयरधारक हों या न हों, हेतु ऐसी कीमत या ऐसी रीति से शेयर की कीमतें तय करने का अधिकार होगा जो आईसीडीआर विनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार निर्धारित कीमत से कम नहीं होंगी।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि संबंधित सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों (एलओडीआर विनियमों), अधिनियम, विनियमों के प्रावधानों, आईसीडीआर विनियम के प्रावधानों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के प्रावधानों और विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखतों) नियमों, 2019 तथा भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी), शेयर बाजारों, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) और यथावश्यक अन्य सभी प्राधिकारियों (इसके बाद जिसे "समुचित प्राधिकारी" कहा जाएगा) से अपेक्षित स्वीकृति, सहमति, अनुमित और/या ऐसा अनुमोदन (इसके बाद जिसे "अपेक्षित अनुमोदन" कहा जाएगा) प्रदान करते समय उनमें से किसी के भी द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, निदेशक मंडल, अपने पूर्ण विवेकाधिकार से, एक या अधिक ट्रेंच में, एक योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी), जैसा कि आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI में उल्लिखित है, के अंतर्गत प्लेसमेंट दस्तावेज़/ लेखन/ परिपत्र/ ज्ञापन और ऐसी पद्धित से और ऐसी कीमत पर, और ऐसी शर्तों पर, जो आईसीडीआर विनियम या यथासमय विद्यमान कानून के अन्य प्रावधानों के अनुरूप निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित की गई हो, योग्य संस्थागत खरीदारों ("क्यूआईबी") (आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI में परिभाषित किए अनुसार) के लिए वारंट को छोडकर, इिकटी शेयर या किसी प्रतिभूति का इस रूप से सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन कर सकता है, जो एक बाद की तारीख में इिकटी शेयरों में इस प्रकार परिवर्तनीय हों या उनकी अदला-बदली की जा सकती हो, कि किसी भी समय केंद्र सरकार के पास बैंक की प्रदत्त इिकटी गूंजी का 51% से कम हिस्सा न हो।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI के अनुसार योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के मामले में –

क) आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI के अनुसार प्रतिभूतियों का आबंटन केवल योग्य संस्थागत खरीदारों को किया जाएगा, ऐसी प्रतिभूतियां पूरी तरह से प्रदत्त होंगी और ऐसी प्रतिभूतियों के आबंटन को इस प्रस्ताव की तारीख से 12 महीने के भीतर या समय-समय पर जारी आईसीडीआर विनियमों के अंतर्गत अनुमत किए अनुसार ऐसे किसी अन्य समय पर पूरा किया जाएगा।

ख) आईसीडीआर विनियमों के विनियम 176(1) के प्रावधानों के अनुसार बैंक, विनियमों के अनुसार अधिकृत आधार मूल्य में अधिकतम पांच प्रतिशत की छूट पर शेयर खरीदने की पेशकश कर सकता है।

ग) प्रतिभूतियों के आधार मूल्य निर्धारण की प्रासंगिक दिनांक आईसीडीआर विनियमों के अनुसार होगी।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि निदेशक मंडल को भारतीय रिज़र्व बैंक/ भारत सरकार/ भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड/ स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या ऐसे अन्य समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्गम, आबंटन तथा सूचीकरण हेतु अपना अनुमोदन, सहमित, अनुमित तथा मंजूरी प्रदान करते/ देते समय प्रस्ताव में अपेक्षित या लगाए गए किन्हीं आशोधनों को स्वीकार करने का अधिकार एवं प्राधिकार होगा।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि नए ईिकटी शेयरों/प्रितिभूतियों का अनिवासी भारतीयों, विदेशी संस्थागत निवेशकों और/ अथवा अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को निर्गमन और आबंटन, यदि कोई हो, यथालागू विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के अधीन लेकिन उक्त अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट समग्र अधिकतम सीमा के भीतर होगा।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि उक्त जारी होने वाले नए इक्किटी शेयर, यथासंशोधित बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर्स और बैठकें) विनियम, 2004 के अधीन होंगे और हर प्रकार से बैंक के मौजूदा ईक्किटी शेयरों के अनुरूप होंगे तथा ऐसी घोषणा के समय लागू सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुरूप घोषित किसी प्रकार के लाभांश, यदि कोई हो, हेतु पात्र होंगे।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि किसी निर्गम या इक्किटी शेयरों/ प्रतिभूतियों के आबंटन को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एतद्द्वारा निदेशक मंडल को, जिन्हें प्रतिभूतियों का आबंटन किया जाना हो, ऐसे निवेशकों के वर्ग, प्रत्येक ट्रेंच में आबंटित किए जाने वाले शेयरों/ प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम के मूल्य, निदेशक मंडल को अपने पूर्ण अधिकार से जो उचित लगे, निर्गम की प्रीमियम राशि तय करने, ऐसे सभी कृत्य, कर्म, मामले और कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है जो उसके पूर्ण विवेक में कृत्य, कर्म, कार्य, मामले, आवश्यकतानुसार प्रलेखों तथा लिखतों को अंतिम रूप देने तथा निष्पादित करने या सार्वजनिक निर्गम जारी होने, आबंटन और निर्गम आय के उपयोग के संदर्भ में किसी प्रश्न, किठनाई या शंका के निपटान हेतु आवश्यक, उचित तथा वांछित अनुदेश जारी करने, निदेश देने और अपने पूर्ण विवेकाधिकार से, बैंक के सर्वोत्तम हित में जैसा उचित समझे, नियमों और शर्तों को स्वीकार करने के लिए और ऐसे संशोधन, परिवर्तन, भिन्नता, सुधार, विलोपन, अतिरिक्त नियम और शर्तों जोड़ने और शेयरधारकों के आगे किसी भी अनुमोदन की आवश्यकता के बिना इनको प्रभाव देने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत किया गया है और इस प्रस्ताव द्वारा बैंक व निदेशक मंडल को प्रदत्त कोई या सभी शक्तियों का निदेशक मंडल द्वारा प्रयोग किया जा सकता है।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि निदेशक मंडल को इसके द्वारा किसी भी बुक-रनर (रनर्स)/ अग्रणी प्रबंधक(कों)/बैंकर (रों)/ हामीदार(रों)/ निक्षेपक(कों)/ रिजस्ट्रार(रों), लेखापरीक्षक(कों) और इक्किटी शेयरों/ प्रतिभूतियों के ऐसे प्रस्ताव से सम्बद्ध और शामिल ऐसी सभी एजेंसियों के साथ करार करने और ऐसी सभी व्यवस्थाओं को निष्पादित करने के लिए और ऐसी सभी एजेंसियों व संस्थानों को कमीशन, ब्रोकरेज, फीस के माध्यम से उन्हें पारिश्रमिक देने और ऐसी एजेंसियों के साथ व्यवस्थाओं, समझौतों, ज्ञापन, दस्तावेजों, आदि में शामिल होने और निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

पह भी प्रस्ताव किया जाता है कि उपर्युक्त को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से निदेशक मंडल, अग्रणी प्रबंधकों, अंडरराइटरों, सलाहकारों और/या बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों के परामर्श से एतद्द्वारा निर्गम(निर्गमों) के स्वरूप और शर्तों, निवेशकों के वर्ग सिहत जिन्हें शेयर/प्रित्भित्तियों का आबंटन किया जाना है, प्रत्येक ट्रेंच में आबंटित होने वाले शेयरों/प्रित्भित्तियों की संख्या, निर्गम मूल्य (प्रीमियम, यि कोई हो सिहत), अंकित मूल्य, प्रतिभूतियों के उन्मोचन/वारंट/प्रतिभूतियों को जारी करने/पिरवर्तन की प्रीमियम राशि, ब्याज की दर, शोधन अविध, पिरवर्तित, उन्मोचित या निरस्तिकरण के आधार पर अन्य प्रतिभूतियों या ईक्विटी शेयरों की संख्या, मूल्य, प्रतिभूतियों को जारी करने/पिरवर्तन का प्रीमियम, ब्याज की दर, अभिलेख दिनांक या लेखा बंदी दिनांक और उससे संबंधित आकस्मिक मामले, भारत और/अथवा विदेशों में एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कराने के बारे में निदेशक मंडल को संपूर्ण विवेकाधिकार में, जैसा उचित समझें, निर्णय लेने हेतु प्राधिकृत किया गया है।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि अनिभदल ईकिटी शेयरों को निदेशक मंडल द्वारा उसके संपूर्ण विवेकाधिकार में, जिस रूप में वह उचित समझे, और जैसा कि कानून द्वारा अनुमत्य हो, इन शेयरों की बिक्री के बारे में निर्णय लेने हेतु प्राधिकृत किया गया है।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एतद्द्वारा निदेशक मंडल को निर्गम जारी करने/ प्रतिभूतियों के संदर्भ में किसी प्रश्न, कठिनाई या शंका के निपटान हेतु अपने पूर्ण विवेकाधिकार से आवश्यक, उचित और वांछित कृत्य, कर्म, कार्य करने और इसके बाद अपने पूर्ण विवेकाधिकार से, वह जैसा उचित समझे, आवश्यक, उचित और वांछित कृत्य, कर्म, कार्य करने और शेयरधारकों के किसी भी आगे अनुमोदन की आवश्यकता के बिना या प्राधिकृत किए बिना और यह मानते हुए कि प्रस्ताव को प्राधिकृत करते हुए शेयरधारकों ने इसके लिए अपनी अनुमित प्रदान की है, सभी दस्तावेज़ो व हामियों को यथावश्यक और अपेक्षानुसार निष्पादित करने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत किया गया है।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि निदेशक मंडल को एतद्द्वारा उसे प्रबंध निदेशक एवं सीईओ या कार्यपालक निदेशक/(निदेशकों) या बैंक का ऐसा कोई अन्य अधिकारी या सिमिति जिसे उचित समझे, उक्त प्रस्ताव को प्रभाव देने हेतु यहां प्रदत्त किन्हीं या सभी अधिकारों के प्रत्यायोजन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

एजेंडा मद क्रमांक 4

मेसर्स जोशी एंड जोशी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक लगातार 05 वर्षों की अवधि के लिए बैंक के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी देना:

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो इसे एक साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:

"प्रस्ताव किया जाता है कि विनियमन 24ए और सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, समय-समय पर इसके अंतर्गत जारी परिपत्रों (इसमें किसी भी सांवैधानिक संशोधन(नों) या पुनर्अधिनियमन(नों) सिहत, जो वर्तमान में लागू है) के साथ पठित और बैंक के निदेशक मंडल की सिफारिश के आधार पर, मेसर्स जोशी एंड जोशी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज को वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक लगातार पाँच वर्षों की अवधि के लिए बैंक के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, ताकि बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित रु.1,50,000/- प्रति वित्तीय वर्ष के पेशेवर शुल्क पर सचिवीय लेखा परीक्षा की जा सके तथा सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट और वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट जारी की जा सके, को एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है।"

"यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि बोर्ड को ऐसे सभी कार्य, कर्म और कृत्य करने के लिए अधिकृत किया जाता है और ऐसे सभी दस्तावेजों और लेखों पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया जाता है, जो इस संकल्प को प्रभावी बनाने और इसके साथ जुड़े या इसके आकस्मिक मामलों के लिए आवश्यक हो सकते हैं।"

"यह प्रस्ताव भी किया जाता है कि उपर्युक्त संकल्पों को प्रभावी बनाने हेतु अलग-अलग कार्य करने के लिए, बोर्ड को मुख्य वित्तीय अधिकारी और/या कंपनी सचिव को प्रदत्त सभी या किसी भी शक्ति को, प्रत्यायोजित करने के लिए एतद् द्वारा अधिकृत किया जाता है।"

एजेंडा मद क्रमांक 5

शेयरधारक निदेशक का चुनाव

केन्द्र सरकार के अलावा बैंक शेयरधारकों में से एक निदेशक का निर्वाचन करना जो कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(i) (इसके पश्चात "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (इसके पश्चात "विनियमन अधिनियम" के रूप में संदर्भित), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 (इसके पश्चात "योजना" के रूप में संदर्भित) और बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर तथा बैठकें) विनियम 2004 (इसके पश्चात "विनियम" के रूप में संदर्भित) के साथ पठित और अधिसूचनाएं क्र. दिनांक 02 अगस्त, 2019 की अधिसूचना क्र.डीबीआर. एपीपीटी. बीसी.क्र.9/29.67.001/2019-20 और दिनांक 24.11.2016 की अधिसूचना क्र.डीबीआर. एपीपीटी. बीसी.क्र.39/29.39.001/2016-17 (इसके पश्चात एतदद्वारा "भारिबैं अधिसूचनाएं" के रूप में संदर्भित) और उसमें संशोधन, भारत सरकार के दिनांक 03 सितंबर 2013 के कार्यालय ज्ञापन क्र.एफ.क्र.16/83/2013-बीओ.आई तथा दिनांक 28 अप्रैल, 2015 के एफ क्र.16/51/2012-बीओ.आई (भारत सरकार के वर्तमान दिशानिर्देश) और 08 जुलाई, 2016 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के गैर-आधिकारिक निदेशक के रूप में मीमांसा के लिए सरकार द्वारा प्रदत्त मापदंडों (इसके पश्चात "भारत सरकार दिशानिर्देश"के रूप में संदर्भित) और उसमे आगे किए गए संशोधन, यदि कोई हों, के साथ पठित और निर्वाचन के पश्चात निम्नलिखित संकल्प को निर्धारित करना और पारित करना:

"प्रस्ताव किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(i) और इसके अंतर्गत बनाई गई संगत योजना, विनियमावली और अधिसूचना तथा भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसरण में केन्द्र सरकार के अलावा बैंक शेयरधारकों में से एक निदेशक को एतदद्वारा बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए, और जो कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्षों की अवधि के लिए कार्य संभालेंगे।"

चुनाव होने पर, उपर्युक्त संकल्प को भी सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 25 (2ए) के प्रावधानों के अंतर्गत पारित माना जाएगा।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

दिनांक: 07 जून, 2025

स्थान : पुणे

(विशाल सेठिया) कंपनी सचिव

टिप्पणियां :

- 1. बैठक में किए जाने वाले व्यवसाय संबंधी वास्तविक तथ्यों के व्याख्यात्मक विवरण यहां मद क्र. 3, 4, 5 में संलग्न हैं।
- 2. कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 05.05.2020 के अंतर्गत कंपनियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनुमति दी है। इसके बाद, इसी तरह के परिपत्र, अंतिम परिपत्र संख्या 09/2024 दिनांक 19.09.2024 को एमसीए द्वारा 30.09.2025 तक वीसी/ओएवीएम मोड के माध्यम से एजीएम की अनुमति देने के लिए जारी किया गया है। सेबी ने भी एमसीए द्वारा जारी उपर्युक्त परिपत्रों के अनुरूप, परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी-पीओडी/पी/सीआईआर/2024/133 दिनांक 03.10.2024 के माध्यम से सूचीबद्ध संस्थाओं को छूट दी है। उसी के मद्देनजर, बैंक की 22वीं एजीएम वीसी /ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी। इसलिए, सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आगामी एजीएम में भाग ले सकते हैं। पुणे स्थित बैंक का प्रधान कार्यालय वार्षिक साधारण बैठक स्थल माना जाएगा।

3. प्रॉक्सी की नियुक्ति:

एमसीए परिपत्रों के अनुसार, चूंकि सदस्यों की भौतिक उपस्थिति समाप्त कर दी गई है, इसलिए प्रॉक्सी नियुक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर और बैठकें) विनियम, 2004 के विनियमन 70(vi) के अंतर्गत सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं होगी। इसलिए, प्रॉक्सी नियुक्त करने के लिए लिखत और उपस्थिति पर्ची इसके साथ संलग्न नहीं की जा रही है।

4. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति :

किसी कंपनी या किसी निगमित निकाय जो बैंक के शेयरधारक हैं, उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई भी व्यक्ति बैंक के शेयरधारकों की किसी भी बैठक में तब तक सहभाग लेने के लिए पात्र नहीं हो सकता या वोट नहीं दे सकता, जब तक कि वह उस बैठक के संकल्प की प्रति प्रस्तुत नहीं करता जिसमें उसे प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने का संकल्प पारित किया गया हो। संकल्प की प्रति उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा ही सत्यापित की जानी चाहिए जिसमें वह पारित किया गया हो तथा वह ई-मेल investor_services@mahabank.co.in पर वार्षिक साधारण बैठक की नियत तिथि से न्यूनतम चार दिन पूर्व अर्थात बुधवार 25 जून, 2025 को या उससे पहले बैंक के कार्य समापन समय अर्थात सायं 5.00 बजे तक या उससे पूर्व प्रेषित की जानी चाहिए।

- 5. वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में सहभाग लेने वाले शेयरधारकों की उपस्थिति को बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर्स व बैठकें) विनियम, 2004 के अंतर्गत कोरम की जांच हेतु सम्मिलित किया जाएगा।
- 6. उपर्युक्त एमसीए परिपत्रों और सेबी के परिपत्र दिनांक 13 मई, 2022 के अनुपालन में, वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के साथ एजीएम की सूचना केवल उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजी जा रही है, जिनके ई-मेल पते बैंक/ डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। शेयरधारक यह नोट कर सकते हैं कि बैंक का एजीएम नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in, स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट पर क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com तथा सीडीएसएल की वेबसाइट https: www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध होगी।

7. बैंक का एजीएम नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने तथा लाभांश का भुगतान करने के लिए बैंक खातों के ब्यौरों को अद्यतन करने हेत् ई-मेल आईडी पंजीकृत करने की प्रक्रिया :

भौतिक शेयरधारकों के लिए: भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारक बैंक के आरटीए के पास अपने बैंक खाते के ब्यौरों को अद्यतित कर और अपने ई-मेल आईडी पंजीकृत कर सकते हैं जिसके लिए या तो वे समुचित रूप से भरे हुए **आईएसआर – 1** फॉर्म की भौतिक प्रति एमसीए शेयर ट्रांसफर लिमिटेड, 3बी3, तीसरी मंजिल, गुंदेचा ऑनक्लेव, खैरानी रोड, साकी नाका, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400 072 पर भेज सकते हैं या helpdeskmum@mcsregistrars.com/ mparase@mcsregistrars.com पर मेल भेज सकते हैं।

डीमैट रूप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों के लिए: डीमटेरियलाइज्ड मोड में शेयर धारित करने वाले और जिनके ई-मेल आईडी/ बैंक खाते के ब्यौरे पंजीकृत नहीं हैं ऐसे शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के माध्यम से अपनी संबंधित डिपॉजिटरियों के पास अपने ई-मेल पते, मोबाइल क्रमांक और बैंक खाते के ब्यौरे पंजीकृत/ अद्यतित करें।

- 8. चूंकि वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम का आयोजन किया जाएगा, अतः इस नोटिस में रूट मैप को संलग्न नहीं किया गया है।
- 9. वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में सहभाग लेने की सुविधा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीडीएसएल) के माध्यम से प्रदान की जाएगी। दूरस्थ ई-मतदान, वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने और एजीएम पर मतदान से संबंधित विस्तृत दिशानिर्देश एतदद्वारा अलग से दिए गए हैं।
- 10. सदस्य नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन कर बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पूर्व और उसके पश्चात् वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में सहभाग लेने की सुविधा पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर कम से कम 1000 सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें उन बड़े सदस्यों (2% या अधिक शेयर धारित करने वाले सदस्य), प्रमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति, लेखा परीक्षकों आदि को शामिल नहीं किया जाएगा, जिन्हें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बिना किसी प्रतिबंध के एजीएम में सहभाग लेने की अनुमित है।
- 11. बैंक के वे शेयरधारक जिन्होंने बैंक/डिपॉजिटरी/आरटीए के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, वे investor_services@mahabank.co.in /mparase@mcsregistrars.com पर ई-मेल भेजकर एजीएम नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, सेबी के दिशानिर्देशों में हाल ही में किए गए संशोधनों के अनुसार, बैंक ने उन शेयरधारकों को भी एक संदेश भेजा है, जिनकी ईमेल आईडी बैंक/ बैंक के आरटीए के साथ पंजीकृत नहीं हैं, जिसमें उन्हें बैंक की वेबसाइट का पता बताया गया है, जहां वार्षिक रिपोर्ट और एजीएम नोटिस उपलब्ध होंगे।

12. लाभांश के लिए नियत दिनांक:

31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अंतिम लाभांश हेतु सदस्यों की पात्रता का पता लगाने के उद्देश्य से **शुक्रवार, 09 मई, 2025** नियत दिनांक निर्धारित की गई है।

13. शेयरधारक निदेशक के चुनाव के लिए निर्दिष्ट तिथि (एजेंडा मद क्रमांक 5):

केंद्र सरकार के अलावा, बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक निदेशक के चुनाव में नामांकन करने, चुनाव लड़ने और मतदान करने के लिए चुनाव प्रक्रिया में सहभाग लेने के पात्र शेयरधारकों के निर्धारण के उद्देश्य से, शुक्रवार, 23 मई, 2025 को निर्दिष्ट दिनांक, जैसा कि नोटिस में उल्लिखित है, के रूप में तय किया गया है। इस प्रकार, शेयरधारक निदेशक के चुनाव के संबंध में शेयरधारकों के मतदान अधिकार शुक्रवार, 23 मई, 2025 को माने जाएंगे।

14. लाभांश का भुगतान :

बैंक के निदेशक मंडल ने 25 अप्रैल, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए रु.10/- प्रत्येक के पूर्णत: प्रदत्त इक्विटी शेयर पर रु.1.50 प्रति इक्विटी शेयर की दर से लाभांश की सिफारिश की है। लाभांश की अनुशंसा निदेशक मंडल द्वारा की गई है और यदि बैंक की 22वीं वार्षिक साधारण बैठक में इसे अनुमोदित किया जाता है, तो स्रोत पर कर की कटौती पर अधीन इसका भुगतान उन शेयरधारकों को किया जाएगा जिनके नाम निम्नानुसार प्रदर्शित होते हैं:

- क) इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में डिपॉजिटरियों (अर्थात एनएसडीएल और सीडीएसएल) द्वारा प्रदत्त की जाने वाली सूची के अनुसार 09 मई, 2025 को व्यवसाय घंटे की समाप्ति पर जो लाभार्थी स्वामी है और;
- ख) शुक्रवार, 09 मई, 2025 को या उसके पूर्व बैंक के पंजीयक और शेयर अंतरण एजेंट के पास दर्ज अनुरोधित सभी वैध अंतरणों और प्रतिस् थापन हेतु प्रभाव देने के पश्चात कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में जो सदस्य के रूप में है।
- ग) लाभांश का संवितरण पात्र शेयरधारकों को 29 जुलाई, 2025 को किया जाएगा।

15. लाभांश पर टीडीएस:

क) आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसरण में 1 अप्रैल, 2020 से शेयरधारकों की लाभांश आय कर योग्य होती है तथा बैंक को शेयरधारकों को प्रदत्त लाभांश से स्रोत पर कर की कटौती निर्धारित दरों पर करना आवश्यक होता है। विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्दिष्ट दरों हेतु शेयरधारकों के अनुरोध हेतु आयकर अधिनियम, 1961 और उसके संशोधनों का संदर्भ लें। शेयरधारकों से अनुरोध है कि बैंक/ आरटीए (भौतिक रूप में शेयर धारित करने के मामले में) और डिपॉजिटरियों (डीमैट रूप में शेयर धारित करने के मामले में) के पास अपने पैन अद्यतित करें।

ख) कोई निवासी वैयक्तिक शेयरधारक जिसके पास पैन है और जो आयकर के भुगतान हेतु उत्तरदायी नहीं है, वह स्रोत पर कर की कटौती न किए जाने का लाभ प्राप्त करने हेतु आरटीए को ई-मेल द्वारा फॉर्म क्र. 15जी/ 15 एच में वार्षिक घोषणा प्रस्तुत कर सकता है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि नोट करें कि यदि उनके पैन पंजीकृत नहीं हैं तो उच्च दर पर कर की कटौती की जाएगी। अनिवासी शेयरधारक अपने निवास के देश और भारत के बीच कर संधी के अंतर्गत लाभ दरें प्राप्त कर सकते हैं जो आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के अधीन है यथा स्थायी प्रतिष्ठान तथा लाभार्थी स्वामित्व न होने की घोषणा, कर निवासी प्रमाणपत्र, फॉर्म 10 एफ, कोई अन्य दस्तावेज जो mparase@mcsregistrars.com पर आरटीए को ई-मेल भेजकर कर संधी के लाभ प्राप्त करने हेतु आवश्यक हो सकता है।

ग) शेयरहोल्डर द्वारा उक्त घोषणाएं और दस्तावेज 15 मई, 2025 या उससे पूर्व mparase@mcsregistrars.com पर मेल द्वारा प्रस्तुत जाना आवश्यक है तािक बैंक लाभांश रािश पर टीडीएस/ कर कटौती की दर का निर्धारण कर सकें। कर की दर, कर कटौती/ निर्धारण पर 15 मई, 2025 के पश्चात कंपनी द्वारा किसी भी संप्रेषण पर विचार नहीं किया जाएगा। बैंक ने इस संबंध में शेयरधारकों को ईमेल भी भेजे हैं।

16. संयुक्त धारकों के मामले में, वह सदस्य जिसका नाम बैंक के सदस्यों के रजिस्टर के अनुसार नामों के क्रम में पहले धारक के रूप में प्रदर्शित होता है, एजीएम में वोट देने का हकदार होगा।

17. खातों या एजीएम में रखे जाने वाले किसी भी मामले के बारे में किसी भी जानकारी की मांग करने वाले सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे investor_services@mahabank.co.in पर ई-मेल के माध्यम से शुक्रवार, 20 जून, 2025 को या पहले बैंक को मेल भेजें। इसका उत्तर बैंक द्वारा उपयुक्त रूप से दिया जाएगा।

18. पैन, केवाईसी, बैंक विवरण और नामांकन प्रस्तुत करने के लिए मानदंड :

सेबी ने अपने परिपत्र दिनांक 3 नवंबर 2021 क्रमांक सेबी/ एचओ/ एमआईआरएसडी/ एमआईआरएसडी_आरटीएएमबी/ पी/ सीआईआर/ 2021/ 655 के अधिक्रमण में दिनांक 16.03.2023 के परिपत्र क्रमांक सेबी/ एचओ/ एमआईआरएसडी/ एमआईआरएसडी-पीओडी-1/ पी/ सीआईआर/ 2023/37 के माध्यम से भौतिक प्रतिभूतिधारकों द्वारा अनिवार्य रूप से पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। दूसरे शब्दों में, सूचीबद्ध कंपनियों में भौतिक प्रतिभूतियों के सभी धारकों के लिए अपने संबंधित फोलियो नंबर के लिए पैन, नामांकन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और नमूना हस्ताक्षर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तदनुसार, यह एक बार पुनः दोहराया जाता है कि भौतिक प्रतिभूतियों के सभी धारकों और दावेदारों के लिए आरटीए को पैन विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उपरोक्त सेबी परिपत्र के अनुसार, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे नीचे उल्लिखित प्रपत्रों में वैध पैन, ई-मेल पता, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण और नामांकन विवरण तुरंत आरटीए को प्रस्तुत करें

क्र.	फॉर्म	उद्देश्य
1	फॉर्म आईएसआर -1	पैन, केवाईसी विवरण दर्ज/ अद्यतित करने हेतु
2	फॉर्म आईएसआर -2	बैंक द्वारा प्रतिभूति धारक के हस्ताक्षर की पुष्टि करने हेतु
3	फॉर्म आईएसआर -3	नामांकन से बाहर निकलने के लिए घोषणा पत्र
4	फॉर्म एसएच -13	नामांकन फार्म
5	फॉर्म एसएच -14	नामांकन को रद्द करना या परिवर्तन (यदि कोई हो)

उक्त सभी फॉर्म [आईएसआर-1, आईएसआर-2, आईएसआर-3, एसएच-13 और एसएच-14] तथा उक्त सेबी परिपत्र हमारी वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर उपलब्ध हैं। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे बैंक के आरटीए को निम्नलिखित पते पर सहायक दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे हुए निवेशक सेवा अनुरोध फॉर्म जमा करें:

आरटीए का विवरण:

एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, (यूनिट: बैंक ऑफ महाराष्ट्र)

पता: 3बी3 तीसरी मंजिल, गुंदेचा ऑनक्लेव, खेरानी रोड,

साकीनाका अंधेरी (ई), मुंबई - 400072

दूरभाष: 022-28516021-22

ई-मेल: helpdeskmum@mcsregistrars.com/ mparase@mcsregistrars.com

वेबसाइटः www.mcsregistrars.com

19. इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरों की होल्डिंग

उन शेयरधारकों के संबंध में जो डीमटेरियलाइज्ड रूप में शेयर रखते हैं और अपने पैन, केवाईसी, बैंक विवरण और नामांकन को अद्यतित करना चाहते हैं, उनसे संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों से संपर्क करने का अनुरोध किया जाता है।

शेयर ट्रांसफर एजेंटों के साथ संप्रेषण

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे डीमैट शेयरों के मामले में अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से और भौतिक शेयरों के मामले में सीधे बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को निम्नलिखित पते पर अपने पंजीकृत पते या किसी अन्य विवरण में परिवर्तन के बारे में सूचित करें।

एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, (यूनिट: बैंक ऑफ महाराष्ट)

पता: 3बी3 तीसरी मंजिल, गुंदेचा ऑनक्लेव,

खेरानी रोड, साकीनाका अंधेरी (ई), मुंबई - 400072

दूरभाष : 022-28516021-22

ई-मेल : helpdeskmum@mcsregistrars.com / mparase@mcsregistrars.com

वेबसाइट : www.mcsregistrars.com

20. भौतिक शेयरों को डी-मैट स्वरूप में बढलना:

सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक उन प्रतिभूतियों के अंतरण की प्रक्रिया नहीं करेगा जो भौतिक रूप में रखी गई हैं। भौतिक या डीमैट रूप में रखी गई प्रतिभूतियों का आगे का ट्रांसिमशन या ट्रांसपोजिशन केवल डीमैट रूप में ही किया जाएगा। तदनुसार, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि यदि वे कोई अंतरण करना चाहते हैं तो उन्हें अनिवार्य रूप से डीमैट रूप में परिवर्तित कर लें। भौतिक रूप में प्रतिभूतियों के ट्रांसिमशन और ट्रांसपोजिशन के लिए अनुरोध आरटीए को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

उपरोक्त संशोधन को ध्यान में रखते हुए, बैंक के शेयरधारकों, जिनके पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र के भौतिक शेयर हैं, उनसे एक बार पुनः अनुरोध किया जाता है कि वे अपने शेयरों को डीमटेरियलाइज़ कर लें। शेयरधारक दो डिपॉजिटरी अर्थात नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड या सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड में से किसी एक में, किसी भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के जिरए, डीमैट खाता खोल सकते हैं।

21. शेयरों के डिमटेरियलाइजेशन के लाभ:

शेयरों के डीमटेरियलाइजेशन के लाभ निम्नानुसार हैं:

- शेयर प्रमाणपत्र के गुम होने और खराब होने का कोई खतरा नहीं
- प्रतिभूतियों को रखने का आसान और सुविधाजनक तरीका
- प्रतिभूतियों का तत्काल अंतरण
- प्रतिभूतियों के अंतरण के लिए कम कागजी कार्रवाई
- कम संव्यवहार लागत
- लाभांश सीधे आपके बैंक खाते में जमा हो जाता है।

22. अप्रदत्त/ अदावाकृत लाभांश, यदि कुछ हो :

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अंतरण और अधिग्रहण अधिनियम, 1970) की धारा 10बी के अनुसार लाभांश की कोई भी रकम जो कि अप्रदत्त लाभांश खाते को अंतरित की जाती है और उस अंतरण के दिनांक से सात वर्ष की अविध तक अप्रदत्त/ अदावाकृत रहती है तो यह कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 सी(1)/ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के अंतर्गत स्थापित "निवेशक शिक्षण और संरक्षण निधि" (आईईपीएफ) को अंतरित की जाएगी।

उपर्युक्त प्रावधान के अनुसरण में 2014-15 से पूर्व के वित्तीय वर्षों के लिए शेष अप्रदत्त/ अदावाकृत लाभांश की ऐसी कोई भी राशि 'निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि' में अंतरित की गई है।

जिन शेयरधारकों ने वर्ष 2021-22 के लिए लाभांश वारंटों को भुनाया नहीं है, उन्हें सूचित किया जाता है कि उक्त पते पर बैंक के रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट से संपर्क करें।

आईईपीएफ प्राधिकारी से अदावाकृत लाभांश राशि का दावा निर्दिष्ट फॉर्म आईईपीएफ-5 में आवेदन कर और समुचित रूप से समान हस्ताक्षिरत (बैंक के पास रिकॉर्ड किए गए नमूना हस्ताक्षर के अनुसार) इसकी भौतिक प्रति आईईपीएफ-5 में निर्दिष्ट अपेक्षित दस्तावेजों के साथ बैंक के आरटीए को भेजकर किया जा सकता है। आईईपीएफ नियम तथा अदावाकृत लाभांश का वापस दावा करने के लिए निगमित मामले मंत्रालय (एमसीए) द्वारा विनिर्दिष्ट आवेदन फॉर्म आईईपीएफ-5 बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in और साथ ही, एमसीए की वेबसाइट www.iepfgov.in पर उपलब्ध है।

23. मतदान अधिकार:

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अंतरण और अधिग्रहण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उप धारा (2ई) के अनुसार केंद्र सरकार के अलावा बैंक का कोई भी शेयरधारक उसके द्वारा धारित किसी भी शेयर के संबंध में बैंक के समस्त शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक से मतदान अधिकारों का इस्तेमाल करने का हकदार नहीं होगा।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर और बैठकें) विनियम, 2004 के विनियम 10 के अनुसार यदि कोई शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर है तो मतदान के संदर्भ में रिजस्टर में पहले नाम वाले व्यक्ति को उसका एकल धारक माना जाएगा। अतः यदि शेयर संयुक्तधारकों के नाम पर है तो केवल पहले नाम वाले व्यक्ति को ही बैठक में सहभाग लेने का अधिकार होगा और बैठक में केवल वही कार्यसूची मदों पर रिमोट ई-वोटिंग या वोटिंग के माध्यम से मतदान हेतु पात्र होगा।

24. ई-वोटिंग प्रक्रिया से संबंधित जानकारी व अन्य अनुदेश निम्नानुसार हैं:

i) कार्यसूची मदों 1, 2, 3, 4 और 5 के लिए नियत दिनांक:

यथासंशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के अनुसार, एजेंडा मद क्रमांक 1, 2, 3 और 4 के संबंध में शेयरधारकों के मतदान अधिकारों की गणना सोमवार, 23 जून, 2025 से की जाएगी। एजेंडा मद क्रमांक 5 के लिए कट-ऑफ दिनांक इस नोटिस के बिंदु संख्या 13 में उल्लिखित है।

ii) रिमोट ई-वोटिंग:

सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं व प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 44(1) के अनुसरण में नोटिस में वर्णित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मत देने में शेयरधारकों को समर्थ बनाने के लिए आपके बैंक ने सहर्ष रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान की है, जिसके लिए बैंक ने रिमोट ई-वोटिंग प्लैटफॉर्म प्रदान करने हेतु केंद्रीय प्रतिभूति सेवाएं (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) को रिमोट ई-वोटिंग सेवाप्रदाता एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमण्यन एंड कंपनी, कंपनी सेक्रेटरीज, ठाणे को रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया को न्यायसंगत व पारदर्शी तरीके से आयोजित करने हेतु संवीक्षक नियुक्त किया है। रिमोट ई-वोटिंग वैकल्पिक है। निर्दिष्ट दिनांक और / या नियत दिनांक को बैंक के शेयर धारित करनेवाले शेयरधारक, चाहे उनके शेयर भौतिक रूप में हों या डीमटेरियलाईन्ड रूप में, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मत दे सकेंगे। गुरुवार 26 जून, 2025 को सुबह 9.00 बजे से रिववार, 29 जून, 2025 को शाम 5.00 बजे तक सभी शेयरधारकों के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा खुली रहेगी और इसके बाद ई-वोटिंग प्लैटफॉर्म बंद कर दिया जाएगा।

ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए शेयरधारकों के अनुदेश निम्नानुसार हैं:

चरण 1: डिमैट मोड में शेयर रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के मामले में डिपॉजिटरी सीडीएसएल/एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम

(i) सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के परिपत्र दिनांक 09 दिसंबर, 2020 क्र.सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 के अनुसार डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को धारण करने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ बनाए गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से मतदान करने की अनुमित है। शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए वे अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी अपडेट करें।

सेबी के उपर्युक्त परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड सीडीएसएल/एनएसडीएल में प्रतिभूतियों को धारण करने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने हेतु लॉग-इन का तरीका निम्नानुसार है:

शेयरधारकों का प्रकार	लॉग इन पद्धति	
सीडीएसएल डिपॉज़िटरी के साथ डी-मैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	 1) जिन उपयोगकर्ताओं ने सीडीएसएल ईज़ी/ईज़ीएस्ट सुविधा का विकल्प चुना है, वे अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉग-इन कर सकते हैं। बिना किसी अतिरिक्त प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पेज पर पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। ईज़ी/ईज़ीएस्ट में लॉग-इन करने के लिए उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि वे सीडीएसएल की वेबसाइट www.cdslindia.com पर जाएं और लॉग-इन आइकन और मायईजी न्यू (टोकनः टैब पर क्लिक करें। 2) सफल लॉग-इन के बाद ईज़ी/ईज़ीएस्ट उपयोगकर्ता कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार पात्र कंपनियों के लिए ई-वोटिंग विकल्प देख सकेंगे, जहां ई-वोटिंग प्रक्रियारत है। ई-वोटिंग वेकल्प पर क्लिक करने पर, उपयोगकर्ता रिमोट ई-वोटिंग अविध के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता का ई-वोटिंग पेज देख सकेगा। इसके अतिरिक्त, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की प्रणाली तक पहुंचने के लिए लिंक भी उपलब्ध कराए गए हैं, तािक उपयोगकर्ता सीध ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर जा सकें। 3) यदि उपयोगकर्ता इंज़ी/ईज़ीएस्ट के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण करने का विकल्प सीडीएसएल की वेबसाइट www.cdslindia.com पर उपलब्ध है और लॉग-इन पर तथा माय ईजी न्यू (टोकन) पर क्लिक करें और फिर पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें। 4) वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता www.cdslindia.com होम पेज पर उपलब्ध ई-वोटिंग लिंक से डी-मैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करके सीध ई-वोटिंग पेज तक पहुंच सकते हैं। सिस्टम डिमैट खाते में अभिलेखित पंजीकृत मोबाइल और ई-मेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणीकरण करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता ई-वोटिंग विकल्प देखने में सक्षम होगा जहां वोटिंग प्रक्रियारत है और साथ ही, सभी 	
एनएसडीएल डिपॉज़िटरी के साथ डी-मैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की प्रणाली तक सीधे पहुंचने में भी सक्षम होगा। यदि आप पहले से ही एनएसडीएल आईडीईएएस सुविधा के लिए पंजीकृत हैं, तो कृपया एनएसडीएल की ई-सर्विसेज वेबसाइट पर जाएं। पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर निम्नलिखित यूआरएल टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें: https://eservices.nsdl.com/एक बार ई-सेवाओं का होम पेज लॉन्च होने के बाद, "लॉग-इन" के अंतर्गत "बेनिफिशियल ओनर" आइकन पर क्लिक करें, जो 'आईडीईएएस' सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप ई-वोटिंग सेवाओं को देख पाएंगे। ई-वोटिंग सेवाओं के अंतर्गत "एक्सेस टू ई-वोटिंग" पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पेज देख पाएंगे। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। यदि उपयोगकर्ता आईडीईएएस ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। "आईडीईएएस पोर्टल के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करें" विकल्प चुनें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें।	

शेयरधारकों का प्रकार लॉग इन पद्धति 3) एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर एनएसडीएल डिपॉज़िटरी के साथ निम्नलिखित URL टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें: https://www.evoting.nsdl.com/ I डी-मैट मोड में प्रतिभूति रखने ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च होने के बाद, "लॉग-इन" आइकन पर क्लिक करें, जो वाले वैयक्तिक शेयरधारक 'शेयरधारक/सदस्य' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी (यानी एनएसडीएल के साथ आपका सोलह अंकों का डी-मैट खाता नंबर), पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा। 4) ओटीपी आधारित लॉगिन लिए आप https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp पर क्लिक करें। आपको अपनी 8 अंकों की डीपी आईडी, 8 अंकों की क्लाइंट आईडी, पैन नंबर, सत्यापन कोड दर्ज करना होगा और ओटीपी जनरेट करना होगा। पंजीकृत ई-मेल आईडी/ मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और लॉग-इन पर क्लिक करें। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा। आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से अपने डी-मैट खाते के लॉग-इन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी वैयक्तिक शेयरधारक (डी-मैट लॉग-इन कर सकते हैं। सफल लॉग-इन के बाद, आप ई-वोटिंग विकल्प देख पाएंगे। ई-वोटिंग मोड में प्रतिभृतियों को रखने वाले) विकल्प पर क्लिक करने पर आपको सफल प्रमाणीकरण के बाद एनएसडीएल/सीडीएसएल अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के डिपॉजिटरी साइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। माध्यम से लॉग-इन करें। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण नोट: जो सदस्य यूजर आईडी/ पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरगॉट यूजर आईडी और फॉरगॉट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें।

डिपॉजिटरी यानी सीडीएसएल और एनएसडीएल के माध्यम से लॉग-इन से संबंधित किसी भी तकनीकी मामले के लिए डी-मैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क

लॉग-इन प्रकार	हेल्पडेस्क ब्यौरे
सीडीएसएल के साथ डी-मैट मोड में	लॉग-इन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना कर रहे सदस्य
प्रतिभूति रखने वाले वैयक्तिक	helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर या टोल फ्री नंबर: 1800 21
शेयरधारक	09911 पर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं ।
एनएसडीएल के साथ डी-मैट मोड में	लॉग-इन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evoting@nsdl.co.in
प्रतिभूति रखने वाले वैयक्तिक	पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या फोन नंबर: 022 - 4886
शेयरधारक	7000 एवं 022 - 2499 7000 पर कॉल कर सकते हैं।

चरण 2: भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों और डीमैट रूप में शेयर रखने वाले गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों के मामले में सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से एक्सेस।

ii) ई-वोटिंग और डी-मैट फॉर्म में वैयक्तिक शेयरधारकों और भौतिक शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉग-इन विधि।

- 1. शेयरधारकों को ई-वोटिंग वेबसाइट https://www.evotingindia.com/ पर लॉग ऑन करना होगा
- 2. शेयरहोल्डर मॉड्यूल पर क्लिक करें
- 3. अब अपना यूजर आईडी प्रविष्ट करें।
 - क. सीडीएसएल के लिए : 16 अंकों का लाभार्थी आईडी
 - ख. एनएसडीएल के लिए : 8 अक्षरों का डीपीआईडी जिसके बाद 8 अंकों का ग्राहक आईडी
 - ग. भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य कंपनी के पास पंजीकृत फोलियो क्रमांक प्रविष्ट करें
- 4. अगले चरण में प्रदर्शित किए अनुसार ईमेज वेरिफिकेशन प्रविष्ट करें और लॉग-इन पर क्लिक करें।
- 5. यदि आपने अपने शेयर डी-मैट रूप में धारित किए हैं और www.evotingindia.com पर लॉग-इन किया है तथा पहले किसी भी कंपनी की वोटिंग में वोट किया है तो आपका विद्यमान पासवर्ड उपयोग किया जाना है।
- 6. यदि आप पहली बार यूजर हैं तो नीचे दिए गए चरणों का अनुसरण करें:

	डी-मैट रूप और भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी आपका 10 अंकों का अल्फा न्यूमैरिक *पैन प्रविष्ट करें। (डी-मैट शेयरधारकों के साथ-साथ भौतिक शेयरधारकों पर भी लागू) • जिन शेयरधारकों ने कंपनी/ डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास अपना पैन अद्यतन नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि कंपनी/आरटीए द्वारा प्रेषित सिक्केंस नंबर का उपयोग करें या कंपनी/आरटीए से संपर्क करें।
लाभांश बैंक ब्यौरे या जन्म दिनांक (डीओबी)	लॉग-इन करने के लिए आपके डी-मैट खाते या कंपनी के अभिलेख में दर्ज किए अनुसार जन्मतिथि (डीडी/एमएम/वाईवाई प्रारूप में) या लाभांश बैंक विवरण प्रविष्ट करें।

- iii) ये ब्यौरे समुचित रूप से प्रविष्ट करने के पश्चात "सबिमट" टैब पर क्लिक करें।
- iv) भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य तब सीधे ही कंपनी चयन स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। तथापि, डी-मैट रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारक अब "पासवर्ड क्रिएशन" मेनू पर पहुंचेंगे जहां उन्हें न्यू पासवर्ड फील्ड में अपना लॉग-इन पासवर्ड प्रविष्ट करना अनिवार्य है। कृपया नोट करें कि डी-मैट धारकों द्वारा इस पासवर्ड का उपयोग किसी अन्य कंपनी के, जहां वे वोट करने हेतु पात्र हों, संकल पों के लिए वोटिंग हेतु भी उपयोग किया जा सकता है बशर्ते कि उस कंपनी ने सीडीएसएल प्लैटफॉर्म के माध्यम से ई-वोटिंग का विकल्प लिया हो। यह पुरजोर सिफारिश की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी भी अन्य व्यक्ति से साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने हेतु अत्यधिक सावधानी बरतें।
- v) भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों के लिए ये ब्यौरे केवल इस नोटिस में शामिल संकल्पों पर ई-वोटिंग के लिए ही उपयोग किए जा सकते हैं।
- vi) आपने जिस पर वोट करने का चयन किया है उस संबंधित <company name> के लिए ईवीएसएन पर क्लिक करें।
- vii) वोटिंग पृष्ठ पर आपको "रिजॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन" दिखाई देगा और उसके सामने वोटिंग के लिए "हां/ नहीं" विकल्प होंगे। आवश्यकतानुसार हां या नहीं विकल्प का चयन करें। विकल्प हां यह प्रदर्शित करता है कि आप संकल्प को सहमित देते हैं और विकल्प नहीं यह दर्शाता है कि आप संकल्प से असहमत हैं।
- viii) यदि आप संपूर्ण संकल्प ब्यौरे देखने के इच्छुक हैं तो "रिजॉल्यूशन्स फाइल लिंक" पर क्लिक करें।
- ix) संकल्प का चयन करने के बाद, आपने वोट करने का निर्णय लिया है, "SUBMIT" पर क्लिक करें। एक पुष्टिकरण बॉक्स प्रदर्शित किया जाएगा। यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं, तो "OK" पर क्लिक करें, अन्यथा अपना वोट बदलने के लिए, "CANCLE" पर क्लिक करें और तदनुसार अपने वोट को संशोधित करें।
- x) एक बार जब आप संकल्प पर अपने वोट को "CONFIRM" कर लेते हैं, तो आपको अपने वोट को संशोधित करने की अनुमित नहीं दी जाएगी।
- xi) आप वोटिंग पेज पर "Click here to print" विकल्प पर क्लिक करके डाले गए वोट का प्रिंट भी ले सकते हैं।
- xii) यदि कोई डीमैट खाताधारक लॉग इन पासवर्ड भूल गया है तो यूजर आईडी और छवि सत्यापन कोड दर्ज करें और पासवर्ड भूल गए पर क्लिक करें और सिस्टम द्वारा पूछे गए विवरण दर्ज करें।
- xiii) अपलोड किए गए बीआर/पीओए को अपलोड करने का एक वैकल्पिक प्रावधान भी है, जो जांचकर्ता को सत्यापन के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
- xiv) गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों और अभिरक्षकों (कस्टोडियन्स) के लिए अतिरिक्त सुविधा केवल रिमोट वोटिंग के लिए।

गैर-वैयक्तिक शेयरधारक (अर्थात वैयक्तिक, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) और अभिरक्षकों को www.evotingindia.com पर लॉग-ऑन करना होगा और स्वयं को "कॉरपोरेट" मॉड्यूल में पंजीकृत करना होगा।

- क) संस्था की मुहर और हस्ताक्षर वाले पंजीकरण फॉर्म की स्कैन कॉपी helpdesk.evoting@cdlindia.com पर ई-मेल की जानी चाहिए।
- ख) लॉग इन विवरण प्राप्त करने के बाद एडिमन लॉग इन और पासवर्ड का उपयोग करके कम्प्लायंस यूजर बनाया जाना चाहिए। कम्प्लायंस यूजर उन खातों को लिंक करने में सक्षम होंगे, जिनके लिए वे मतदान करना चाहते हैं।
- लॉग इन में जुड़े खातों की सूची स्वचालित रूप से मैप की जाएगी और किसी भी गलत मैपिंग के मामले में डीलिंक किया जा सकता है। ग)
- यह अनिवार्य है कि बोर्ड के संकल्प और मुख्तारनामा (पीओए) की एक स्कैन की हुई कॉपी, जो उन्होंने अभिरक्षक, यदि कोई हो, के पक्ष ^घ) में जारी की है तो उसे जांचकर्ता द्वारा सत्यापित करने के लिए सिस्टम में पीडीएफ प्रारूप में अपलोड किया जाना चाहिए।
- वैकल्पिक रूप से, गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों को संबंधित बोर्ड संकल्प/ प्राधिकार पत्र आदि को विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो डिं: वोट देने के लिए अधिकृत हैं, के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ, जांचकर्ता और कंपनी को ई-मेल पता यथा investor_services@mahabank.co.in पर भेजना अनिवार्य है, यदि उन्होंने वैयक्तिक टैब से मतदान किया है और उसे जांचने के लिए संवीक्षक हेतु सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम में अपलोड नहीं किया है।

बैठक के दौरान वीसी/ ओएवीएम और ई-वोटिंग के माध्यम से एजीएम में सहभाग लेने वाले शेयरधारकों के लिए निर्देश निम्नानसार हैं:

- 1. एजीएम के दिन बैठक में सहभाग लेने और ई-वोटिंग की प्रक्रिया ई-वोटिंग के लिए ऊपर उल्लिखित निर्देशों के समान है।
- 2. बैठक में सहभाग लेने के लिए वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक वहां उपलब्ध होगा, जहां ई-वोटिंग के लिए ऊपर दिए गए निर्देशों के अनुसार सफल लॉग इन के बाद कंपनी का ईवीएसएन प्रदर्शित होगा।
- 3. रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट करने वाले शेयरधारक बैठक में सहभाग लेने के पात्र होंगे। हालांकि, वे एजीएम में मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।
- 4. बेहतर अनुभव के लिए शेयरधारकों को लैपटॉप/आईपैड के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- 5. शेयरधारकों को बैठक के दौरान किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए कैमरा अनुमित देने और अच्छी स्पीड से इंटरनेट का उपयोग करने की आवश्यकता होगी।
- 6. कृपया ध्यान दें कि मोबाइल डिवाइस या टैबलेट से या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से कनेक्ट होने वाले लैपटॉप से जुड़ने वाले प्रतिभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो हानि का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार की उपरोक्त गडबडियों को कम करने के लिए स्टेबल वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।
- 7. जो शेयरधारक बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करना/ प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे अपना नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियों नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए बैठक से कम से कम 7 दिन पहले अग्रिम रूप से investor_services@mahabank.co.in पर अपना अनुरोध भेजकर एक वक्ता के रूप में अपना पंजीकरण करा सकते हैं। जो शेयरधारक एजीएम के दौरान बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे बैठक से 7 दिन पहले अपना नाम, डीमैट खाता संख्या / फोलियों नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर पर investor_services@mahabank.co.in पर भेज सकते हैं। इन प्रश्नों का कंपनी द्वारा उचित रूप से ईमेल द्वारा उत्तर दिया जाएगा।
- 8. वे शेयरधारक जिन्होंने खुद को एक वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है, केवल उन्हें बैठक के दौरान केवल अपने विचार व्यक्त करने/ प्रश्न पूछने की अनुमति होगी।
- 9. केवल वे शेयरधारक, जो एजीएम में वीसी/ ओएवीएम सुविधा के माध्यम से उपस्थित हैं और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है, वे एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट देने के पात्र होंगे।
- 10. यदि एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग के माध्यम से शेयरधारकों द्वारा कोई वोट डाला जाता है और यदि वही शेयरधारक वीसी/ ओएवीएम सुविधा के माध्यम से बैठक में भाग नहीं लेते हैं, तो ऐसे शेयरधारकों द्वारा डाले गए वोट को सुविधा के रूप में अमान्य माना जा सकता है। बैठक के दौरान ई-वोटिंग केवल बैठक में सहभाग लेने वाले शेयरधारकों के लिए उपलब्ध है।

उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनका ईमेल/मोबाइल नं. कंपनी/डिपॉजिटरीज के साथ पंजीकृत नहीं हैं।

- 1. भौतिक शेयरधारकों के लिए कंपनी / आरटीए ईमेल आईडी पर ईमेल द्वारा कृपया आवश्यक विवरण प्रदान करें जैसे फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की हुई कॉपी (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई कॉपी), आधार (स्व-सत्यापित स्कैन की गई आधार कार्ड की कॉपी)।
- 2. डीमैट शेयरधारकों के लिए कृपया अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (DP) के साथ अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अद्यतित करें।
- 3. वैयक्तिक डीमैट शेयरधारकों के लिए कृपया अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (DP) के साथ अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अद्यतित करें, जो ई-वोटिंग करने और डिपॉजिटरी के माध्यम से वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए अनिवार्य है।

यदि सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम से एजीएम और ई-वोटिंग में भाग लेने के संबंध में आपके कोई प्रश्न या मुद्दे हैं, तो आप helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल लिख सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800 22 55 33 पर संपर्क कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा से संबंधित सभी शिकायतें श्री राकेश दलवी, विरष्ठ प्रबंधक, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरएक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई - 400013 को संबोधित की जा सकती हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर एक ईमेल भेजें या टोल फ्री नंबर 1800 22 55 33 पर कॉल करें।

3 वार्षिक साधारण बैठक में संवीक्षक:

22वीं वार्षिक साधारण बैठक में आयोजित की जानेवाली रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग दोनों ही प्रक्रियाओं के लिए मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमण्यन एंड कंपनी, कंपनी सेक्रेटरीज, ठाणे संवीक्षक का कार्य करेंगे।

4 ई-वोटिंग का परिणाम:

वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) में वोटिंग के परिणामों को रिमोट ई-वोटिंग के परिणामों से समेकित कर अध्यक्ष या उनके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा परिणामों की घोषणा करने के तत्काल बाद सीडीएसएल की वेबसाइट पर और बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर जारी किया जाएगा। ये परिणाम तत्काल स्टॉक एक्सचेंजों को भी प्रेषित किए जाएंगे।

स्पष्टीकरण कथन:

एजेंडा मद क्रमांक 3:

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुवर्ती सार्वजिनक प्रस्ताव (एफपीओ)/राइट्स इश्यू/योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी)/अधिमान्य इश्यू/ईएसपीएस या किसी अन्य तरीके या उसके संयोजन / या बेसल III बांड या ऐसी अन्य प्रतिभूतियों को जारी करने के माध्यम से कुल ₹7,500 करोड़ तक की पूंजी जुटाने के प्रस्ताव पर विचार करना, जैसा कि आवश्यक अनुमोदन के अधीन लागू कानूनों के अंतर्गत अनुमित दी जा सकती है।

- i. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक को पुनर्पूजीकरण योजना के अंतर्गत भारत सरकार से कोई इक्किटी पूंजी प्राप्त नहीं हुई है। बैंक ने 5 अक्टूबर, 2024 को योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के माध्यम से इक्किटी शेयर पूंजी (शेयर प्रीमियम सिहत) में ₹3,500 करोड़ जुटाए। इसके परिणामस्वरूप निवेशकों को ₹10 प्रति शेयर मूल्य के 61,01,81,311 नए इक्किटी शेयर ₹47.36 प्रति शेयर के प्रीमियम पर जारी और आवंटित किए गए। बैंक ने 4 जुलाई, 2024 को ₹1,000 करोड़ मूल्य के बेसल III-अनुरूप टियर-II बांड जारी किए। 31 मार्च, 2025 तक, पूंजी पर्याप्तता अनुपात 20.53% था, जो बेसल III मानदंडों के अंतर्गत 11.50% (पूंजी संरक्षण बफर सिहत) की नियामक आवश्यकता से काफी अधिक था। कॉमन इक्किटी टियर 1 (सीईटी1) पूंजी अनुपात 15.83% पर मजबूत था।
- ii. उपर्युक्त अनुसार इक्किटी पूंजी भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 में निर्धारित अन्य प्राधिकरणों से उचित अनुमोदन के साथ और सेबी और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के प्रासंगिक दिशानिर्देशों/ विनियमों के अधीन जुटाई जाएगी।
- iii. निदेशक मंडल ने 25 अप्रैल, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में उपलब्ध विभिन्न विकल्पों के माध्यम से ₹7,500 करोड़ (शेयर प्रीमियम सिहत) तक की इक्विटी पूंजी जुटाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है और नोटिस में उल्लिखित प्रस्ताव को पारित करने की सिफारिश की है।

- iv. बैंक की अधिकृत पूंजी वर्तमान में ₹10000 करोड़ है। 31 मार्च, 2025 तक बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी ₹7691.56 करोड़ है।
- v. वर्तमान प्रस्ताव का उद्देश्य बैंक के निदेशक मंडल को उचित समय, मोड, प्रीमियम और अन्य शर्तों पर इक्विटी शेयर जारी करने में सक्षम बनाना है।
- vi. जारी किए गए इक्विटी शेयर, लाभांश सहित बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ सभी प्रकार से समान होंगे।
- vii. बैंक का कोई भी निदेशक इस संकल्प से संबंधित या इच्छुक नहीं है।

एजेंडा मद क्रमांक 4:

वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक लगातार 5 वर्षों की अविध के लिए बैंक के सिचवीय लेखा परीक्षक के रूप में प्रैक्टिसिंग कंपनी सिचव मेसर्स जोशी एंड जोशी की नियुक्ति को मंजूरी देना:

सेबी लिस्टिंग विनियमन के विनियमन 24ए के अनुसार, प्रत्येक सूचीबद्ध इकाई को एक सिचवीय लेखा परीक्षक द्वारा सिचवीय लेखा परीक्षा अयोजित करना आवश्यक है, जो सहकर्मी समीक्षा वाला कंपनी सिचव होगा और अपनी वार्षिक रिपोर्ट में सिचवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट संलग्न करेगा। इसके अतिरिक्त, एक सूचीबद्ध इकाई को अपनी वार्षिक सामान्य बैठक में अपने शेयरधारकों की मंजूरी के साथ लगातार पांच वर्षों के अधिकतम एक कार्यकाल (व्यक्तिगत के मामले में)/ दो कार्यकाल (फर्म के मामले में) के लिए एक सिचवीय लेखा परीक्षा फर्म नियुक्त करनी चाहिए। तदनुसार, बैंक के निदेशक मंडल ने 06.06.2025 को आयोजित अपनी बैठक में मेसर्स जोशी एंड जोशी (विशिष्ट कोड क्र. P2009MH020200) प्रैक्टिसिंग कंपनी सिचवों को वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक लगातार पांच वर्षों की अविध के लिए बैंक के सिचवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है।

मेसर्स जोशी एंड जोशी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव का संक्षिप्त परिचय:

जोशी एंड जोशी पुणे स्थित कंपनी सिववों की एक पूर्ण-सेवा फर्म है। फर्म ने दिसंबर 2009 में अपना परिचालन शुरू किया (तब आष्टे जोशी एंड एसोसिएट्स के नाम से जाना जाता था)। संस्थापक पार्टनर सीएस राघवेंद्र जोशी को इस पेशे में करीब चार दशकों का व्यापक अनुभव है और पार्टनर सीएस हर्षल जोशी 2009 से इस पेशे में हैं। फर्म अपने ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करती रही है और व्यवसाय स्थापित करने, पूंजी निवेश, निजी इक्विटी लेनदेन, समापन आदि से लेकर परामर्श और अनुपालन प्रबंधन सेवाओं की एक विस्तृत शृंखला प्रदान करती है। इसके अलावा, फर्म फेमा, दिवाला एवं दिवालियापन संहिता, उत्पीड़न एवं कुप्रबंधन, कॉर्पोरेट पुनर्गठन, कॉर्पोरेट मुकदमेबाजी एवं उपस्थिति, कानूनी परामर्श और मसौदा तैयार करने जैसी सेवाओं से संबंधित मामलों में भी संलग्न है। फर्म अपनी सहयोगी इकाई के साथ मिलकर मर्चेंट बैंकिंग सेवाएं भी प्रदान करती है।

मेसर्स जोशी और जोशी ने बैंक के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए अपनी सहमित दे दी है और पुष्टि की है कि उनकी उपरोक्त नियुक्ति (यदि की जाती है) लागू अधिनियम, इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और सेबी (एलओडीआर) विनियमों के अंतर्गत निर्धारित सीमाओं में होगी। उन्होंने यह भी पुष्टि की है कि वे लागू अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा सेबी (एलओडीआर) विनियमों के प्रावधानों के अनुसार सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं हैं।

एजेंडा मद क्रमांक 5

एक शेयरधारक निदेशक का चुनाव

- i. बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अर्जन) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (i) के अनुसार, जहां धारा 3 की उपधारा 2बी के खंड (सी) के अंतर्गत निर्गम पूंजी बैंक की कुल प्रदत्त पूंजी के सोलह प्रतिशत से अधिक परंतु बत्तीस प्रतिशत से कम है, वहां बैंक के निदेशक मंडल में शेयरधारकों द्वारा उनके बीच से चयनित एक निदेशक होना चाहिए जोकि केंद्र सरकार के निदेशक के अतिरिक्त होगा।
- ii. बैंक के शेयरधारकों ने पहले ही श्री प्रवीण कुमार को शेयरधारक निदेशक के रूप में चुन लिया है, जिन्होंने 30.06.2024 को पदभार ग्रहण किया। उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक, केंद्र सरकार के अलावा, शेयरधारकों में से एक और निदेशक चुन सकता है।
- iii. निदेशक मंडल ने 12.05.2025 को आयोजित अपनी बैठक में, पदभार ग्रहण करने की तिथि/मान्य तिथि से 3 वर्ष की अविध के लिए बैंक के निदेशक मंडल में एक शेयरधारक निदेशक की इस रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने को मंजूरी दे दी है।
- iv. अत: केंद्र सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक के विभिन्न व संगत अधिनियम/ योजना/ विनियमन/ अधिसूचना/ निर्देशों के अंतर्गत उल्लिखित कार्यविधि के अनुसार, शेयरधारक (केन्द्र सरकार के अतिरिक्त) अपने नामांकन भेज सकते हैं।

बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा के अतिरिक्त बैंक के किसी भी निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति की उपर्युक्त संकल्पों में कोई रुचि या सरोकार नहीं है।

विधिक प्रावधानः

निम्नलिखित तालिका इस संबंध में विभिन्न अधिनियमों/विनियमों/योजनाओं/अधिसूचनाओं में शामिल प्रावधानों को दर्शाती है:

अधिनियम/ योजना/ विनियम/ अधिसूचना	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949	धारा ५ (एन -ई)	सब्सटेंशियल इंटरेस्ट (पर्याप्त रूचि)
	धारा 16 (1)	सामान्य निदेशकों का निषेध
	धारा २०	इसके किसी भी निदेशकों को या उनकी ओर से किसी को ऋण या अग्रिम प्रदान करने पर प्रतिबंध
	धारा ५१	समनुरूपी नए बैंक को अधिनियमों की कतिपय धाराओं की प्रयोज्यता।
बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का	धारा ३ (२ई)	मतदान करने के अधिकार पर प्रतिबंध
अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970	धारा 9(3)(i)	शेयरधारकों द्वारा चयन किए जाने वाले निदेशकों की संख्या
1970	धारा ९(३ए) (ए) से (सी)	कतिपय क्षेत्रों में विशिष्ट ज्ञान
	धारा ९(३एए) और धारा ९(३ एबी)	कोई भी व्यक्ति निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि पूर्व अभिलेख, सत्यनिष्ठा और ऐसे अन्य मानदंडों के अधीन, जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक निर्धारित करे, उसे उपयुक्त तथा उचित स्थिति का व्यक्ति न माना जाए।
	धारा ९ (3बी)	चयनित निदेशक, जो कि उक्त अधिनियम की धारा 9(3ए) और 9(3 एए) की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता, उसे हटाने का भारतीय रिज़र्व बैंक का अधिकार।
	धारा 13(2)	निष्ठा और गोपनीयता की बाध्यता
राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध	खंड 9(4)	चयनित निदेशकों की कार्यालय अवधि
प्रावैधान) योजना 1970	खंड 10	बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने की अयोग्यता
	खंड 11	निदेशक के कार्यालय की रिक्ति
	खंड ११ए	चयनित निदेशक के कार्यालय से हटाया जाना
	खंड 11बी	चयनित निदेशक के कार्यालय की रिक्तियों को भरना
	खंड 12(8)	कतिपय व्यवस्थाओं में निदेशकों द्वारा हितों, जिनके लिए वे इच्छुक हैं, का विगोपन

अधिनियम/ योजना/ विनियम/ अधिसूचना	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
	विनियम 10	संयुक्त धारकों के अधिकारों का निष्पादन
	विनियम 61	साधारण बैठक में मतदान
	विनियम ६३	निदेशक आम बैठकों में चुने जाएंगे
	विनियम ६४	शेयरधारकों की सूची
	विनियम ६५	निर्वाचन हेतु उम्मीदवारों का नामांकन
बैंकु ऑफ महाराष्ट्र (शेयर्स तथा बैठकें)	विनियम ६६	नामांकनों की संवीक्षा
विनियम, 2004	विनियम ६७	निर्वाचन से संबंधित विवाद
	विनियम 68	मतदान अधिकारों का निर्धारण
	विनियम ६९	विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान
	विनियम ७०	प्रॉक्सियां
आरबीआई/डीबीआर/2019-20/71, मास्टर डायरेक्शन डीबीआर.एपीपीटी नंबर: 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 2 अगस्त, 2019.	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 बैंकिंग की धारा 9(3एए) व धारा 9(3 एबी) के अनुसरण में	राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड पर चयनित निदेशकों हेतु उपयुक्त तथा उचित मानदंड
वित्तीय सेवाएं विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सं.क्र.16/83/2013-बीओ द्वारा जारी 03 सितंबर 2013 का पत्र और 25 मार्च 2015 को जारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर आधिकारिक निदेशक (एनओडी) के रूप में विचारार्थ केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त मापदंड, 28 अप्रैल,2015 के भारत सरकार के पत्र एफ.क्र. 16/51/212-बीओ-आई. और दिनांक 20 जुलाई, 2016 और उसमें अनुवर्ति संशोधन, यदि कोई हो, के साथ पठित		सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर आधिकारिक निदेशक (एनओडी) के रूप में विचारार्थ केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त मापदंड
01 जुलाई 2015 का भा रि बैं मास्टर परिपत्र डीबीआर. सं.डीआईआर. बी.सी. 10/ 13.03.00/ 2015-16		निदेशकों के रिश्तेदारों को ऋण व अग्रिम प्रदान करना
सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015		स्वतंत्र निदेशकों से संबंधित प्रावधान

शेयरधारकों की सुविधा के लिए विनियम अधिनियम, अधिनियम, योजना/ विनियम और साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक की 24.11.2016 की अधिसूचना क्र. डीबीआर.एपीपीटी.बीसी.क्र.39/29.39.001/16-17 और आरबीआई मास्टर डायरेक्शन डीबीआर.एपीपीटी.क्र::9/29.67.001/2019-20 दिनांक 2 अगस्त 2019 तथा भारत सरकार के 25 मार्च 2015 और 20 जुलाई 2016 के दिशानिर्देश बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर उपलब्ध होंगे, जिसे यूजर द्वारा देखा/ डाउनलोड किया जा सकता है। ऐसे सारांश इच्छुक उम्मीदवारों को बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कंपनी सचिव को उसके प्रधान कार्यालय investor_services@mahabank.co.in पर नामांकन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि अर्थात शुक्रवार 13 जून 2025 को या उससे पहले अनुरोध प्राप्त होने पर ई-मेल से भी भेज जाएंगे।

क निर्वाचन में सहभागः

विनिर्दिष्ट दिनांक अर्थात शुक्रवार 23 मई, 2025 को एनएसडीएल/ सीडीएसएल द्वारा प्रदत्त किए अनुसार लाभार्थी स्वामियों/ शेयरधारकों के रिजस्टर में प्रदर्शित नामवाले शेयरधारकों को केंद्र सरकार के शेयरधारकों को छोड़कर शेयरधारकों के बीच से निदेशकों के निर्वाचन में नामांकन करने, चुनाव लड़ने और वोट करने का अधिकार होगा।

यह नोट किया जाए कि केंद्र सरकार निदेशक के चुनाव में सहभाग लेने हेतु पात्र नहीं है किंतु समीक्षक के रूप में एजीएम में सहभाग ले सकते हैं।

ख. बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचन हेतु अपेक्षित अर्हता:

अधिनियम की धारा 9(3ए) के अनुसार बैंक का शेयरधारक कोई उम्मीदवार तथा जो अधिनियम की धारा 9(3) (आई) के अंतर्गत निदेशक बनने का इच्छुक है, उससे निम्नानुसार अपेक्षित है -

- (क) उसे निम्नलिखित विषयों में से एक या अधिक के संबंध में विशिष्ट ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए :
- i. कृषि व ग्रामीण अर्थव्यवस्था
- ii. बैंकिंग
- iii. सहकारिता
- iv. अर्थशास्त्र
- v. वित्त
- vi. विधि
- vii. लघु उद्योग
- viii. अन्य किसी भी विषय के संबंध में विशिष्ट ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के मतानुसार बैंक के लिए उपयोगी होगा।
- (ख) जमाकर्ताओं के हित का प्रतिनिधित्व करता हो, या
- (ग) किसानों, श्रमिकों और कारीगरों के हित का प्रतिनिधित्व करता हो भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24 नवंबर 2016 की अपनी अधिसूचना डीबीआर.एपीपीटी.बीसी.क्र.39/29.39.001/16-17 के माध्यम से निम्नलिखित विशेषज्ञता के क्षेत्रों को इसमें शामिल कर दिया है:
- i. सूचना प्रौद्योगिकी
- ii. भुगतान एवं निपटान प्रणाली
- iii. मानव संसाधन
- iv. जोखिम प्रबंधन और
- v. व्यवसाय प्रबंधन

अधिनियम की धारा 9(3एए) और भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार बैंक का शेयरधारक कोई उम्मीदवार जो कि बैंक का निदेशक बनने का इच्छुक हो उसे 'उपयुक्त और उचित' (फिट एंड प्रॉपर) स्थिति में होना चाहिए।

अधिनियम की धारा 9(3एबी) के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक उपधारा 3(एए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में 'उपयुक्त और उचित' (फिट एंड प्रॉपर) स्थिति, ऐसे निर्धारण की पद्धित, ऐसा निर्धारण किए जाने हेतु अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा ऐसी कोई अन्य पद्धित जो उसमें आवश्यक या आकस्मिक मानी जा सकती हो का भी निर्धारण किया जा सकता है।

साथ ही, चुने गए निदेशक द्वारा प्रसंविदा का विलेख निष्पादित किया जाना चाहिए और उनसे यह अपेक्षित है कि इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अनुसार वार्षिक घोषणा प्रस्तुत करें।

ग. बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता:

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 के खंड 10 के अनुसार कोई भी व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने तथा निदेशक बनने से अयोग्य ठहराया जाएगा –

- (क) यदि वह किसी समय दिवालिया करार कर दिया गया हो या उसने लेनदारों का भुगतान रोक रखा हो या इस भुगतान से संबद्ध हो, या
- (ख) यदि वह अस्वस्थ दिमाग का पाया गया हो और किसी सक्षम न्यायालय ने इस बात की घोषणा की हो, या
- (ग) यदि किसी नैतिक भ्रष्टता से जुड़े अपराध में किसी न्यायालय ने उसे दोषी ठहराया हो. या
- (घ) यदि वह भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत गठित भारतीय स्टेट बैंक अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 3 में वर्णित किसी अनुषंगी बैंक में लाभ का पद धारित करता है, किंतु वह बैंक के कर्मचारियों के बीच से अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (ङ) व (च) के अंतर्गत नामित निदेशकों और प्रबंध निदेशक को सिम्मिलित करते हुए पूर्णकालिक निदेशक का पद छोड़कर पद धारित करता है और ;
- (ङ) यदि वह भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई मास्टर डायरेक्शन डीबीआर.एपीपीटी नंबर 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 2 अगस्त 2019 और आरबीआई अधिसूचना संख्या डीबीआर. एपीपीटी.बीसी.क्र.39/ 29.39.001/2016-17 दिनांक 24 नवंबर 2016 और भारत सरकार के दिशानिर्देश क्रमांक एफ.क्र..16/51/2012-बीओ.आई दिनांक 28 अप्रैल 2015 और दिनांक 26 जुलाई , 2016 दिनांक 03 सितंबर 2013 के ओएम के साथ पठित अधिसूचना के अनुसार बैंक के निदेशकों की नामांकन समिति द्वारा "उचित और उपयुक्त" व्यक्ति नहीं पाया जाता है।

घ. शेयरधारकों की सूची:

बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर्स एवं बैठकें) विनियम 2004 के विनियम 64 के प्रावधानों के अनुसार शेयरधारकों की सूची (इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप यथा सीडी अथवा अन्य कोई माध्यम से) निवेशक सेवाएं विभाग, प्रधान कार्यालय, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005 में शेयरधारकों द्वारा रु.10,000/- (रुपए दस हजार केवल) के पूर्व भुगतान पर सीडी पर सॉफ्ट कॉपी के रूप में तथा इसकी मुद्रित प्रति 'बैंक ऑफ महाराष्ट्र' के पक्ष में पुणे में देय अनुसूचित बैंक के रु.50,000 (रुपए पचास हजार केवल) के मांग ड्राफ्ट/ पे ऑर्डर के द्वारा दिनांक 09 जून, 2025 से उपलब्ध की जाएगी।

उक्त सूची को खरीदने वाले इच्छुक उम्मीदवार कंपनी सचिव और बोर्ड सचिव से investor_services@mahabank.co.in पर मेल द्वारा या निवेशक सेवाएं विभाग, प्रधान कार्यालय, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005 को संबोधित पत्र द्वारा अनुरोध करेंगे तथा यह घोषणा भी देंगे कि इस सूची का उपयोग चुनाव के प्रचार हेतु किया जाएगा तथा किसी अन्य प्रयोजनों के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाएगा।

ङ. शेयरधारकों के रजिस्टर का निरीक्षण:

शेयरधारकों के रजिस्टर का शेयरधारकों द्वारा निरीक्षण करने हेतु यह रजिस्टर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रधान कार्यालय में निवेशक सेवाएं विभाग, प्रधान कार्यालय, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005 में सभी कार्य दिवसों (दूसरे और चौथे शनिवार तथा रिववार एवं बैंक अवकाश को छोड़कर) को प्रात: 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक उपलब्ध रहेगा तािक प्रत्याशी शेयरधारकों के रजिस्टर के किसी भी भाग का उद्धरण प्राप्त कर सकें। जो शेयरधारक शेयरधारकों के रजिस्टर का निरीक्षण करने के इच्छुक हैं, उन्हें निरीक्षण के दिन से कम से कम एक कार्य दिवस पहले investor_services@mahabank.co.in पर और 020 - 25511360 पर बैंक के कंपनी सचिव को सूचित करना आवश्यक है। निरीक्षण के लिए अंतिम दिनांक शुक्रवार 13 जून 2025 है

यदि कोई शेयरधारक प्रतिलिपि अथवा चुने हुए भाग/ अंश के कम्प्यूटर प्रिंट की मांग करता है तो उसे रु.5/- प्रति 1,000 शब्द अथवा उसके अनुपात में भुगतान करने पर वह उपलब्ध की जाएगी।

च. चुनाव हेतु उम्मीदवारों का नामांकन:

विनियमावली के विनियम 65 के संदर्भ में, भारतीय रिज़र्व बैंक मास्टर निर्देश डीबीआर.एपीपीटी.क्र.9/29.67.001/2019-20 दिनांक 2 अगस्त 2019, आरबीआई अधिसूचना संख्या डीबीआर.एपीपीटी.बीसी.क्र.39/29.39.001/2016-17 दिनांक 24 नवंबर 2016 और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा जारी पत्र संदर्भ संख्या 16/83/2013-बीओ.आई दिनांक 03 सितंबर 2013 तथा 28 अप्रैल, 2015 और 26 जुलाई 2016 (भारत सरकार के दिशानिर्देश) को जारी सार्वजिनक क्षेत्र के बैंकों में एनओडी के रूप में विचार के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड और विभिन्न अधिनियमों/दिशानिर्देशों/निर्देशों के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, निदेशक के रूप में चुनाव के लिए एक उम्मीदवार का नामांकन स्वीकार किया जाएगा बशर्ते:

क) वह शेयरधारक हैं, जिनके पास **शुक्रवार दिनांक 23 मई, 2025** को, जोकि चुनाव में सहभागिता निश्चित करने की **विनिर्दिष्ट तारीख** है, बैंक के 100 (एक सौ) से अधिक शेयर हैं तथा बैठक की तारीख तक, तत्पश्चात यदि वह चुने जाते/ जाती हैं तो उनका कार्यकाल समाप्त होने तक वह निरंतर न्यूनतम 100 शेयर धारित करता/ करती हैं।

ख) **शुक्रवार दिनांक 13 जून, 2025** जो कि नामांकन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तारीख है, को वह अधिनियम/ योजना/ विनियम/ भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचनाओं/ भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अंतर्गत निदेशक के रूप में अयोग्य नहीं माना जाता है।

ग) अधिनियम के अंतर्गत निदेशक का चयन करने के लिए पात्र कम से कम एक सौ शेयरधारकों या उनके द्वारा विधिवत गठित अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित लिखित नामांकन, बशर्ते कि शेयरधारक, जो कि एक कंपनी है, द्वारा एक नामांकन उक्त कंपनी के निदेशकों के संकल्प द्वारा किया गया हो और जब यह बनाया जाए तो जिस बैठक में यह पारित हुआ हो उसके अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रति बैंक के प्रधान कार्यालय में बोर्ड सचिव, निवेशक सेवाएं विभाग, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005 को प्रेषित की जाएगी और ऐसी प्रति को इस प्रकार की कंपनी की ओर से नामांकन के रूप में माना जाएगा।

घ) शेयरधारकों (न्यूनतम 100) द्वारा वैध नामांकन पत्रों के साथ उम्मीदवार का घोषणापत्र, इस सूचना के साथ संलग्न नामांकन और घोषणा-पत्र के नमूने के अनुसार, जो कि न्यायाधीश, दंडाधिकारी, एश्योरेन्स के रिजस्ट्रार अथवा उप-रिजस्ट्रार अथवा अन्य राजपित्रत अधिकारी अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकारी अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित किया गया हो, जिसमें यह घोषणा की गई हो कि उन्होंने नामांकन स्वीकार किया है तथा चुनाव हेतु खड़ा होने के इच्छुक हैं तथा उन्हें अधिनियम अथवा विनियामक अधिनियम अथवा योजना अथवा विनियमों अथवा भारत सरकार के लागू दिशानिर्देशों के अधीन निदेशक के रूप में अयोग्य करार नहीं दिया गया है। साथ ही, उन्हें अपने वैयक्तिक ब्यौरे (बायो डाटा) पर हस्ताक्षर करके यह पृष्टि करनी है कि उनकी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार दिया गया विवरण सत्य हैं तथा वह यह वचनपत्र भी देंगे / देंगी कि यदि घोषणा करने के उपरांत इनमें कुछ परिवर्तन होता है तो वह पूर्ण रूप से संगत जानकारी यथाशीघ्र बैंक को सूचित करेंगे/ करेंगी।

ङ) नामांकनपत्र एवं घोषणापत्र विनियम में निर्धारित किए अनुसार और इस नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप के अनुसार हैं (यह प्रारूप बैंक की वेबसाईट www.bankofmaharashtra.in पर भी उपलब्ध है।)

च) उन्हें बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 अथवा बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 अथवा बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 2004 (जिसे अब से "विनियम" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 02 अगस्त 2019 के मास्टर निर्देश क्र.डीबीओडी.क्र.बीसी.क्र.9/29.67.001/2019-20 के एवं दिनांक 24 नवम्बर 2016 की अधिसूचना क्र.एपीपीटी.बीसी.क्र.39/29.39.001/2016-17 और दिनांक 20 जुलाई 2016 को जारी दिशानिर्देशों के साथ पठित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों

के गैर-अधिकारिक निदेशक के रूप में चयन हेतु भारत सरकार द्वारा जारी 28 अप्रैल 2015 के पत्र एफ.क्र.16/51/2012-बीओ-आई (एतदद्वारा "भारत सरकार के दिशानिर्देश" के रूप में संदर्भित) और उसमें आगे किए गए अन्य संशोधन, यदि कोई हो, के अंतर्गत अयोग्य करार नहीं दिया गया है।

छ. नामांकन फॉर्मों का प्रस्तुतीकरण:

शेयरधारकों में से बैंक के निदेशक के चुनाव में भाग लेने के इच्छुक शेयरधारक, केन्द्र सरकार के अलावा, कृपया सूचना में संलग्न किए गए प्रपत्र में निम्नलिखित दस्तावेज सीलबंद लिफाफे में, जिस पर यह विशेष रूप से लिखा गया हो "शेयरधारक निदेशक हेतु नामांकन – एजीएम 2025", कंपनी सचिव, निवेशक सेवाएं विभाग, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे – 411 005 को किसी भी कार्य दिवस पर एजीएम हेतु निर्धारित दिनांक से कम से कम 14 दिन पूर्व अर्थात शुक्रवार, दिनांक 13 जून, 2025 को बैंक के कार्यसमय के समापन अर्थात सायं 5.00 बजे से पूर्व प्रस्तुत करें।

- (क) विधिवत भरा हुए घोषणा फॉर्म
- (ख) चुनाव में भाग लेने के लिए पात्र न्यूनतम एक सौ शेयरधारकों से नामांकन
- (ग) नोटिस के साथ संलग्न प्रारूपों में वैयक्तिक जानकारी, घोषणा और वचनपत्र (पीडीयू फॉर्म) और साथ ही, संबंधित दस्तावेज, विवरण पत्र यथा क) बायोडेटा, ख) शैक्षिक अर्हताओं के प्रमाणपत्र ग) कार्य अनुभव आदि की स्व-प्रमाणित प्रतियां।

उक्त नामांकन फॉर्म और अन्य दस्तावेज हर तरह से पूर्ण होने चाहिए, इसमें कोई भी चूक होने पर इसे निरस्त किया जाएगा।

ज) नामांकनों की जांच और निदेशक का निर्वाचन:

- क) विनियमों में निहित शर्तों के साथ नामांकन की अनुरूपता के लिए नामांकन की जांच **सोमवार, 16 जून, 2025** को की जाएगी और यदि कोई नामांकन अनुरूप नहीं पाया जाता है, तो उसके कारणों को दर्ज करने के बाद उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
- ख) वैध नामांकन बोर्ड/निदेशक मंडल की नामांकन और पारिश्रमिक सिमति (एनआरसी) द्वारा आरबीआई निर्देशों और भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार जांच के अधीन होंगे। चूंकि आरबीआई के निर्देश/अधिसूचना और भारत सरकार के दिशानिर्देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध प्रकृति में समान हैं, इसलिए बैंक उम्मीदवारों की उपयुक्त और उचित स्थिति का निर्धारण करते समय दोनों में कड़ाई पर विचार कर सकता है।
- ग) बैंक नामांकन की जांच के समय या एनआरसी/बोर्ड की सलाह के अनुसार उम्मीदवारों से उनकी उम्मीदवारी के समर्थन में अतिरिक्त जानकारी, दस्तावेजों की मांग कर सकता है।
- घ) यदि केवल **एक ही उम्मीदवार** हैं जो एनआरसी / बोर्ड द्वारा उपयुक्त और उचित पाए जाते हैं, तो उक्त उम्मीदवार को निर्वाचित माना जाएगा और वे अगली तारीख से पद ग्रहण करेंगे। ऐसी स्थिति में या यदि कोई उम्मीदवार एनआरसी/बोर्ड द्वारा उपयुक्त और उचित नहीं पाया जाता है, तो एजीएम में कार्यसूची की मद क्रमांक 5 को शामिल नहीं किया जाएगा।
- ङ) यदि एनआरसी / बोर्ड द्वारा एक से अधिक उम्मीदवार उपयुक्त और उचित पाए जाते हैं, तो उम्मीदवारों के नाम बैंक की वेबसाइट, सीडीएसएल ई-वोटिंग पोर्टल, समाचार पत्रों पर प्रकाशित किए जाएंगे और चुनाव आयोजित किए जाएंगे। सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाएगा और उनके नाम की घोषणा की जाएगी और समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जाएगा।

झ. उम्मीदवारी को वापस लेना:

यदि कोई उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेना चाहता है, तो वह किसी भी समय किंतु **बुधवार, 25 जून, 2025** को दोपहर 2.00 बजे से पूर्व बोर्ड सचिव, निवेशक सेवाएं विभाग, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005 को हस्ताक्षरित पत्र भेजकर या boardsec@mahabank.co.in अथवा investor_services@mahabank.co.in पर स्कैन हस्ताक्षरित पत्र भेजकर ऐसा कर सकते हैं।

ञ. विवाद :

यदि कोई विवाद है तो उसका निपटान यथा संशोधित बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर्स और बैठकें) विनियम, 2004 के विनियम 67 के अनुसार किया जाएगा।

ट. उद्धरण :

शेयरधारकों के लाभ के लिए लागू अधिनियम/योजना/विनियम/अधिसूचना/दिशानिर्देशों के प्रासंगिक भागों के अंश बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर उपलब्ध हैं। चुनाव लड़ने के इच्छुक शेयरधारक इसे डाउनलोड कर सकते हैं या इसकी प्रति प्राप्त करने के लिए investor_services@mahabank.co.in पर बैंक के कंपनी सचिव को लिख सकते हैं।

बैंक के किसी भी निदेशक/ प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति का शेयरधारक निदेशक के चुनाव में रुचि या सरोकार नहीं है, जब तक कि वह चुनाव लड़ने का फैसला नहीं करते/करती हैं।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

दिनांक: 07 जून, 2025

स्थान: पुणे

(विशाल सेठिया) कंपनी सचिव

नामांकन फॉर्म

(शेयरधारक द्वारा) (विनियमावली के विनियम 65(आई) (डी) का संदर्भ लें)

प्रति,		
बैंक ऑफ महाराष्ट्		अ.क्र.
प्रधान कार्यालय	'	
लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर		
पुणे 411005		
प्रिय महोदय,		
विषय: निदेशक के	निर्वाचन के लिए नामांकन	
आपके दिनांक 7 जून 2025 की सूचना के संदर्भ में, मैं शुक्रवार दिनांक 23 मई 2025 (निर्वाचन में सहभाग लेने के लिए म (पूर्णत: भुगतान किए गए) का शेयरधारक हूं। सोमवार, 30 जून 2 बैठक में बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंत शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले बैंक ऑफ म	ग़नी गई विनिर्दिष्ट तिथि) को रू.10/- प्र 025 को आयोजित की जाने वाली बैंक ारण) अधिनियम 1970 की धारा	के शेयरधारकों की वार्षिक साधारण 9(3)(i) के उपबंधों के अनुसार
सुपुत्र/ सुपुत्री/ पत्नी/ श्री/ श्रीमती		को जो को जे
निवासी हैं, उन्हें एतद्द्वारा नामित करता/करती हूं।		•
नाम		
हस्ताक्षर		
शेयरों की संख्या		
पंजीकृत फोलियो क्र. (यदि डिमटेरियलाइज्ड नहीं है तो)		
डी.पी.आई.डी. क्र. व ग्राहक आई.डी. क्र. (यदि डिमटेरियलाइज्ड है तो)		
स्थान		
दिनांक		

टिप्पणियां :

- i. यदि नामांकन निगमित निकाय द्वारा किया जाता है तो नामांकन फॉर्म के साथ निदेशक मंडल की जिस बैठक में इस प्रकार का प्रस्ताव पारित किया गया है, उस बैठक के अध्यक्ष के हस्ताक्षरयुक्त निदेशक मंडल द्वारा पारित संकल्प की सत्यापित प्रति संलग्न होनी चाहिए।
- ii. उम्मीदवार को नामित करने वाले शेयरधारकों के हस्ताक्षर बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षरों से मेल खाने चाहिए।
- iii. यदि उपर्युक्त कोई कॉलम रिक्त छोड़ दिया जाता है अथवा विवरण गलत पाया जाता है तो, नामांकन अस्वीकृत किया जा सकता है।

घोषणा (उम्मीदवार द्वारा) (विनियमावली के विनियम 65 का संदर्भ लें)

मैं,	सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नीश्री/श्रीमती
	निवासी, एतद्द्वारा पुष्टि करता /करती हूं कि:
क.	मैं शुक्रवार 23 मई, 2025 को अर्थात निर्वाचन में सहभाग लेने के लिए विनिर्दिष्ट तिथि को बैंक के रू.10/- प्रत्येक के इक्किटी शेयरों का धारक हूं तथा यदि निर्वाचित हुआ तो, मेरे कार्यकाल के अंत तक न्यूनतम 100 इक्किटी शेयर रखूंगा; तथा
ख.	मुझे *(i) कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, (ii) बैंकिंग, (iii) सहकारिता, (iv) अर्थशास्त्र, (v) वित्त, (vi) विधि (vii) लघु उद्योग, अथवा (viii) सूचना प्रौद्योगिकी (ix) रिटेल बैंकिंग (x) मानव संसाधन प्रबंधन (xi) जोखिम प्रबंधन (अथवा अन्य किसी का विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव है जो भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में, बैंक के लिए उपयोगी होगा) और मैं अधिनियम की धारा 9 की उप धारा 3 ए के अनुसार जमाकर्ताओं या किसानों, कर्मचारियों व कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हूं और इसके साक्ष्य के रूप में इसके साथ संबंधित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता हूं;
ग.	मैं से तक क्रमांकित नामांकन को स्वीकार करता हूं;
घ.	मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निदेशक का चुनाव लड़ने का इच्छुक हूं;
ङ.	मुझे बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970, बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर्स तथा बैठकें) विनियम, 2004 के प्रावधानों और भारतीय रिजर्व बैंक की संबंधित अधिसूचनाओं तथा सार्वजिनक क्षेत्र के बैंकों में गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में विचारार्थ भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अंतर्गत बैंक का निदेशक बनने के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया है; और
च.	मैं न तो किसी लाभ के पद पर कार्यरत हूं और न ही किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अंतर्गत धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा गठित भारतीय स्टेट बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में परिभाषित किसी भी सहायक बैंक का कर्मचारी हूं;
	मैं यह भी घोषित करता/ करती हूं कि
छ.	मुझे किसी भी समय दीवालिया नहीं माना गया है या भुगतान विलंबित होने या लेनदार के साथ समझौता करने वाला नहीं माना गया है; और
ज.	मुझे कभी भी विक्षिप्त अथवा अस्वस्थ मन का नहीं पाया गया है और न ही ऐसा सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित किया गया है और मुझे आपराधिक न्यायालय द्वारा ऐसे किसी भी अपराध के लिए अपराधी घोषित नहीं किया गया है जिसमें नैतिक अधमता शामिल हो और
朝.	मुझे किसी भी आर्थिक अधिकारी या ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित नहीं किया गया है; और
ञ.	चयन होने के तुरंत बाद मैं बैंक के साथ पेशेवर संबंध, यदि कुछ हो, से पृथक हो जाऊंगा और निदेशक के रूप में मेरी अवधि के दौरान और इसके उपरांत दो वर्ष की अवधि हेतु बैंक के साथ कोई पेशेवर संबंध नहीं रखूंगा; और

- ट. मैं किसी भी अन्य बैंक या वित्तीय संस्थान (एफआई) अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक या बीमा कंपनी में निदेशक मंडल का सदस्य या किसी अन्य बैंक में एनओएफएचसी धारक नहीं हूं।
- ठ. मैं किसी भी प्रकार की किराया खरीद, वित्तपोषण, धनशोधन, निवेश, लीजिंग और अन्य पैराबैंकिंग गतिविधियों से संबद्ध नहीं हूं।
- ड. मैं पूर्व में किसी भी सरकारी क्षेत्र के बैंक/वित्तीय संस्थान/भारतीय रिज़र्व बैंक/बीमा कंपनी के निदेशक मंडल पर किसी भी श्रेणी में छह वर्ष के लिए, विराम के साथ या निरंतर निदेशक नहीं रहा हूं।
- ढ. मैं स्टॉक ब्रोकिंग के व्यवसाय में संलग्न नहीं हूं।
- ण. मैं संसद या राज्य विधानमंडल या नगर निगम या नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकायों (अन्य स्थानीय निकायों का अर्थात अधिसूचित क्षेत्र परिषद, नगर परिषद, पंचायत, ग्राम सभा, जिला परिषद, आदि जैसे निकाय) के सदस्य का पद नहीं संभाल रहा हूं।
- त. मैं किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के भागीदार के रूप में कार्य नहीं कर रहा हूं जो वर्तमान में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के वैधानिक केंद्रीय लेखा परीक्षक के रूप में कार्यरत है।
- थ. मैं किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के भागीदार के रूप में कार्य नहीं कर रहा हूं जो वर्तमान में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के वैधानिक शाखा लेखा परीक्षक या समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में कार्यरत है जिसमें चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया गया है।
- द. मेरा न तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ कोई व्यावसायिक संबंध (कानूनी सेवाओं, सलाहकार सेवाओं आदि सहित) है और न ही मैं ऐसी गतिविधियों में संलग्न हूं जिसके परिणामस्वरूप बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ व्यावसायिक हितों का टकराव हो सकता है।
- ध. मेरा किसी बैंक या किसी अन्य बैंक को धारण करने वाले एनओएफएचसी के साथ कोई व्यावसायिक संबंध नहीं है और चुने जाने पर मैं निदेशक के रूप में कार्यभार संभालने से पहले बैंक के साथ संबंध तोड़ने का वचन देता हूं।
- न. मैं किसी नियामक या पर्यवेक्षी प्राधिकारी/एजेंसी, या कानून प्रवर्तन एजेंसी के प्रतिकूल नोटिस के अधीन नहीं हूं और मैं किसी भी ऋण देने वाली संस्था का चूककर्ता (डिफॉल्टर) नहीं हूं।
- प. मैं निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण करने से पहले प्रसंविदा विलेख (आरबीआई निर्देश दिनांक 02.08.2019 के निर्धारित प्रारूप में) निष्पादित करने का वचन देता हूं;
- फ. मैं इस घोषणा के बाद यहां दी गई जानकारी से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी में यदि परिवर्तन होता है तो उसे बैंक को यथासंभव शीघ्र अवगत कराने तथा बैंक के निदेशक के रूप में मेरे निर्वाचित होने पर प्रसंविदा विलेख निष्पादित करने का वचन देता हूं; और
- ब. मैं बैंक के निदेशक के रूप में पद धारित करने तक समय समय पर संशोधित सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के संबंधित प्रावधानों का अनुपालन करने का वचन देता हूं; औरमैं अपने व्यक्तिगत विवरण संलग्न करता हूं जो मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सभी प्रकार से सत्य और पूर्ण हैं, और
- भ. मैं अन्य कंपनियों/ बैंकों में मेरे वर्तमान व अतीत के निदेशक पद के ब्यौरे नीचे प्रस्तुत करता हूं।

कंपनी/ बैंक इत्यादि का नाम	निदेशकत्व के ब्यौरे यथा अवधि, कार्यकाल आदि		
मैं अपना व्यक्तिगत ब्यौरा संलग्न कर रहा हूं जोकि मेरी	जानकारी और विश्वास के अनुसार हर तरह से पूर्ण और सही है, तथा		
नाम			
हस्ताक्षर			
शेयरों की संख्या			
पंजीकृत फोलियो क्र.			
(यदि डीमेटिरेलाईज्ड नहीं है तो)			
डी.पी.आई.डी. क्र. व ग्राहक आई.डी. क्र.			
(यदि डीमेटिरेलाईज्ड है तो)			
स्थान			
दिनांक			
उपर्युक्त घोषणा पर मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए।			
नाम :			
तिथि :			
М			
	मुहर के साथ हस्ताक्षर		
	36. 1 64		
न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, ऐश्योरेंस के रजिस्ट्रार अथवा सब-रजिस्ट्रार या अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिज़र्व बैंक य			
(बैंक ऑफ महाराष्ट्र या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक) के अधिकारी की मुहर के साथ हस्ताक्षर।			
*जो भी लागू हैं उसे चिन्हित करें			

H.

(भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित पीडीयू फॉर्म) व्यक्तिगत जानकारी, घोषणा और वचनपत्र बैंक का नाम : बैंक ऑफ महाराष्ट्र

यहां पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएं

क्र.	2025 की स्थिति के अनुसार उचित अनुलग्नक सहित उम्मीदवार द्वारा घोषणा और वचनपत्र		
I.	उम्मीदवार के व्यक्तिगत विवरण		
	1.	पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	
	2.	पिता का नाम (पूरा)	
	3.	लिंग	
	4.	वर्तमान पता	
	5.	ई-मेल आई डी तथा वैकल्पिक ई-मेल आई डी: एसटीडी कोड के साथ टेलीफोन क्रमांक : मोबाइल क्रमांक :	
	6.	राष्ट्रीयता	
	7.	जन्मतिथि	
	8.	शैक्षिक योग्यता (कृपया जानकारी का समर्थन करने वाले प्रमाणपत्रों की स्व-सत्यापित प्रतियां संलग्न करें)।	
	9.	निदेशक पहचान क्रमांक :	
	10.	आधार क्रमांक :	
	11.	1.आयकर अधिनियम के अंतर्गत स्थायी खाता क्रमांक (पैन) (कृपया एक प्रित जोडें)। 2. आयकर परिमंडल / मंडल जहां व्यक्तिगत कर विवरणी फाईल की जाती है वहां का नाम व पता। 3. पिछले 3 वर्षों के लिए आयकर रिटर्न तथा करों के भुगतान की जानकारी।	
	12.	स्थायी पता	
	13.	एक या अधिक मामलों के संबंध में प्रासंगिक ज्ञान या अनुभव पर एक संक्षिप्त लेख के रूप में विवरण, अर्थात् अकाउंटंसी, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहकारिता, अर्थशास्त्र, वित्त, विधि लघु उद्योग, अथवा सूचना प्रद्यौगिकी, भुगतान व निपटान प्रणाली, मानव संसाधन प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, व्यवसाय प्रबंधन या अन्य का विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव जो भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में, बैंकिंग कंपनी के लिए उपयोगी होगा।	
	14.	वर्तमान व्यवसाय (पदनाम, संस्था का नाम, अनुभव की संक्षिप्त जानकारी)	
	15.	पिछले न्यूनतम दस वर्षों के दौरान जिन संस्थाओं में कार्य किया है, उनके पूर्ण पते, कार्य ग्रहण का दिनांक, भारमुक्त होने का दिनांक (कारण सहित), पदनाम इत्यादि की जानकारी	

	16.	सनदी लेखाकार के मामले में, निम्नलिखित दर्शाएँ (क) इन्स्टीटूट ऑफ चार्टर अकाउंटंट ऑफ इंडिया (आईसीएआई) का सदस्यता क्रमांक (ख) आईसीएआई में पंजीकरण का दिनांक (ग) पंजीकृत फर्म का नाम व पता (घ) वर्तमान में फर्म या आपके द्वारा किए गए लेखा परीक्षा का ब्यौरा	
	17.	जहां आप प्राथमिक खाताधारक (बचत/चालू/ऋण खाता) हैं उस बैंकर का नाम, शाखा तथा खाता क्रमांक	
	18.	आपके, आपकी पत्नी/ पति या अवयस्क बच्चे द्वारा यदि किसी रूप में, या तो भौतिक या डिमैट रूप में रखा गया हो, शेयर धारिता का ब्यौरा (डी-मैट/ शेयरधारिता प्रमाणपत्र संलग्न करें)	
	19.	बैंक के निदेशक पद से संबद्ध कोई अन्य जानकारी	
II.	प्रस्ता	वित निदेशक का प्रासंगिक संबंध	
	20.	उम्मीदवार के रिश्तेदारों की सूची, यदि हो तो, जो बैंक से किसी भी रूप में संबद्ध है [कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(77) तथा नियम, 2014 कंपनी के नियम 4 (परिभाषा ब्यौरों का विनिर्दिष्टीकरण)] के अनुसार	
	21.	इकाइयों की सूची जिसमें: (क) इच्छुक [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 देखें]: (ख) लाभकारी स्वामित्व [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 89 और एमसीए के लागू महत्वपूर्ण लाभकारी स्वामित्व नियम भी देखें]: (ग) ट्रस्टी (ट्रस्ट के संदर्भ में किसी अन्य संबंध का भी उल्लेख करें):	
	22.	मौजूदा और प्रस्तावित संस्थाओं की सूची, जिनमें बैंकिंग विनियमन	कंपनी/ फर्म का नाम
		अधिनियम, 1949 की धारा 5 (एनई)4 के अर्थ के अंतर्गत पर्याप्त हित हैं।	निगमन का देश
			शेयरों की संख्या
			प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य
			शेयर धारिता का कुल अंकित मूल्य
			कुल धारिता के % के रूप में शेयरधारिता
			लाभकारी हित
			क्या संस्था कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत धारा 8 कंपनी है
	23.	विदेशों में निगमित संस्थाओं और भारत में व्यवसाय का स्थान रखने वाली संस्थाओं में धारिता का विवरण।	·
	24.	बैंक/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी/किसी अन्य कंपनी का नाम जिसमें वर्तमान में या अतीत में बोर्ड के सदस्य/सलाहकार आदि (कार्यालय में किए गए/किए जा रहे कार्य के अवधि का विवरण सहित)।	

25.	यदि किराया खरीद, वित्तपोषण, निवेश, लीजिंग और अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियों (एसोसिएशन की प्रकृति का उल्लेख किया जाना है) करने वाली किसी इकाई से जुड़ा है, तो उसका विवरण।	
26.	यदि कोई स्टॉक ब्रोकर या शेयर ब्रोकिंग गतिविधियों में लगी किसी संस्था से जुड़ा है, तो उसका विवरण।	
27.	निधि और गैर-निधि-आधारित सुविधाओं का विवरण, यदि कोई हो, वर्तमान में व्यक्तिगत रूप से और/या ऊपर (21) से (26) में सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा प्राप्त किया गया है।	
28.	मामले, यदि कोई हों, जहां एक व्यक्ति या ऊपर (21) से (26) तक सूचीबद्ध संस्थाओं ने किसी बैंक/एनबीएफसी/किसी अन्य ऋण देने वाली संस्था से प्राप्त क्रेडिट सुविधाओं के संबंध में चूक या जानबूझकर चूककर्ता के रूप में घोषित किया है।	
व्याव	सायिक उपलब्धियों का अभिलेख	
29.	निदेशक पद हेतु संबंधित व्यावसायिक उपलब्धियां	
प्रस्ता	वित निदेशक के प्रति कार्यवाही, यदि कोई हो तो	
30.	(क) यदि उम्मीदवार व्यावसायिक संगठन/निकाय का सदस्य है, और यदि उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्रवाई लंबित है या आरंभ हुई है या पूर्व में दोष सिद्ध हुआ हो, तो उसका ब्योरा दें या किसी समय किसी व्यवसाय/व्यापार में प्रवेश हेतु उस पर प्रतिबंध लगाया गया हो	
	(ख) यदि उम्मीदवार व्यावसायिक के विरूद्ध कोई लिखित शिकायत है या आरोप होने के मामले में, इसका ब्यौरा दें।	
31.	उपर्युक्त (21) और (26) में सूचीबद्ध किसी उम्मीदवार और / या इकाई के विरूद्ध आर्थिक कानूनों और विनियमावली के उल्लंघन हेतु प्रलंबित या आरंभ की गई या पूर्व में अपराधी ठहराए जाने के फलस्वरूप अभियोजन का ब्योरा, यदि कोई हो।	
32.	उम्मीदवार के विरुद्ध लंबित, चलाए गए या दोष सिद्ध परिणत हुए आपराधिक मुकदमों का ब्यौरा दें।	
33.	यदि एएमएल/ सीएफटी के दिशानिर्देशों के किसी उल्लंघन में संलिप्त हो, तो उसका विवरण दें।	
34.	कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 और उसके अंतर्गत बनाए नियमों के अंतर्गत उल्लेख की गई कोई भी अयोग्यता क्या उम्मीदवार पर लागू है ?	
35.	यदि दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है या भुगतान निलंबित कर दिया है या ऋणदाताओं के साथ समझौता किया है, तो उसका विवरण दें।	
	26. 27. 28. 29. 31. 32. 33.	गतिविधियों (एसोसिएशन की प्रकृति का उल्लेख किया जाना है) करने वाली किसी इकाई से जुड़ा है, तो उसका विवरण। 26. यदि कोई स्टॉक ब्रोकर या शेयर ब्रोकिंग गतिविधियों में लगी किसी संस्था से जुड़ा है, तो उसका विवरण। 27. निधि और गैर-निधि-आधारित सुविधाओं का विवरण, यदि कोई हो, वर्तमान में व्यक्तिगत रूप से और/या ऊपर (21) से (26) में सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा प्राप्त किया गया है। 28. मामले, यदि कोई हों, जहां एक व्यक्ति या ऊपर (21) से (26) तक सूचीबद्ध संस्थाओं ने किसी बैंक/एनबीएफसी/किसी अन्य ऋण देने वाली संस्था से प्राप्त क्रेटिट सुविधाओं के संबंध में चूक या जानबूझकर चूककर्ता के रूप में घोषित किया है। 29. निदेशक पद हेतु संबंधित व्यावसायिक उपलब्धियां 30. (क) यदि उम्मीदवार व्यावसायिक संगठन/निकाय का सदस्य है, और यदि उसके विरुद्ध कोई अनुशासिनक कार्रवाई लंबित है या आरंभ हुई है या पूर्व में दोष सिद्ध हुआ हो, तो उसका ब्योरा दें या किसी समय किसी व्यवसाय/व्यापार में प्रवेश हेतु उस पर प्रतिबंध लगाया गया हो (ख) यदि उम्मीदवार व्यावसायिक के विरूद्ध कोई लिखित शिकायत है या आरंभ होने के मामले में, इसका ब्योरा दें। 31. उपर्युक्त (21) और (26) में सूचीबद्ध किसी उम्मीदवार और / या इकाई के विरूद्ध आर्थिक कानूनों और विनियमावती के उल्लंघन हेतु प्रलंबित या आरंभ की गई या पूर्व में अपराधी ठहराए जाने के फलस्वरूप अभियोजन का ब्योरा, यदि कोई हो। 32. उम्मीदवार के विरुद्ध लंबित, चलाए गए या दोष सिद्ध परिणत हुए आपराधिक मुकदमों का ब्योरा दें। 33. यदि एएमएल/ सीएफटी के दिशानिर्देशों के किसी उल्लंघन में संलिप्त हो, तो उसका विवरण दें। 34. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 और उसके अंतर्गत बनाए नियमों के अंतर्गत उल्लंख की गई कोई भी अयोग्यता क्या उम्मीदवार पर लागू है ? यदि दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है या भूगतान निलंबित कर दिया है

	36.	यदि मानसिक स्थिति ठीक नहीं पाई जाती है तथा सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जाता है, तो उसका विवरण दें।	
	37.	(क) नैतिक अधमता या अन्यथा किसी अपराध के लिए आपराधिक न्यायालय ने यदि दोषी ठहराया हो तो तत्संबंधी विवरण दें।	
		(ख) यदि किसी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया है, तो उसका ब्यौरा क्या है?	
	38.	पूर्ण कालिक निदेशक के पद को धारण करने के अलावा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, के अंतर्गत यदि कोई लाभ का पद धारण किया हो, तो उसका विवरण दें।	
	39.	क्या उक्त (21) और (26) की कोई भी इकाई या उम्मीदवार को किसी सरकारी विभाग या एजेंसी या पूर्व नियोक्ता के संदर्भ पर किसी अन्वेषण/सतर्कता/जांच के अधीन रखा गया है? तो विवरण दें।	
	40.	क्या उम्मीदवार किसी भी समय नियमों/ अधिनियमों/ सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क/आय कर/विदेशी मुद्रा विनिमय/अन्य राजस्व प्राधिकारियों द्वारा नियमों/विनियमों/विधिक आवश्यकताओं के उल्लंघन के लिए दोषी पाया गया है; यदि ऐसा है तो विवरण दें।	
	41.	यदि व्यावसायिक आचरण या गतिविधियों के कारण किसी भी नियामक जैसे सेबी, आईआरडीएआई, पीएफआरडीए आदि, व्यावसायिक संगठन, सरकारी एजेंसी, या अदालत द्वारा फटकार, निंदा, प्रतिबंधित, निलंबित, वर्जित, आदेश, या अन्यथा स्वीकृत किया गया हो, तो उसका विवरण। (यद्यिप उम्मीदवार के लिए यह आवश्यक नहीं है कि नियंत्रक द्वारा दिए गए आदेशों और निष्कर्षों के बारे में कॉलम में उल्लेख किया जाए जो कि बाद में वापस ले लिए गए/पूर्ण रूप से समाप्त कर दिए गए, तथापि ऐसी स्थिति में इसका उल्लेख करना आवश्यक होगा जबिक वापस लेना / समाप्त करना किसी तकनीकी कारण यथा परिसीमन या न्यायक्षेत्र के अभाव आदि से हुआ हो और योग्यता के आधार पर न हो. यदि विनियामक के आदेश पर अस्थायी रूप से स्थिगत किया गया हो और अपीलीय / न्यायालय की कार्यवाहियां प्रलंबित है तो इसका भी उल्लेख किया जाए।)	
V.	सामा	न्य जानकारी	
	42.	यदि कोई व्यावसायिक जैसे चार्टर्ड एकाउंटेंट, एडवोकेट आदि और वर्तमान में किसी बैंक में कोई व्यावसायिक कार्य कर रहा है/किया है, तो उसका विवरण प्रदान करें जिसमें बैंक का नाम और बैंक के साथ सहकार्य की अवधि शामिल है।	
	43.	यदि कोई मौजूदा सांसद/विधायक/एमएलसी या नगर निगम या नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकायों में राजनीतिक पद धारण किया है, तो उसका विवरण प्रदान करें।	
VI.		प्रकटीकरण और पारदर्शिता के हित में, 'उपयुक्त और उचित' का आकलन करने के लिए प्रासंगिक कोई अन्य जानकारी हो तो, उसका विवरण प्रदान करें।	

वचन	पत्र	
मैं पुष्टि करता/करती हूं कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण है। मैं बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में अपने निर्वाचन के उपरांत संपन्न ऐसी समस्त गतिविधियों, जो कि उक्त उपलब्ध कराई गई जानकारी से संबंधित है, उन्हें बैंक को यथासंभव शीघ्रता से पूर्णतः अवगत कराने का वचन देता हूं।		
मैं बैंक के निदेशकों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले 'अपेक्षित प्रसं	वेदा विलेख' के निष्पादन का भी वचन देता हूं।	
स्थान : दिनांक :	उम्मीदवार के हस्ताक्ष	
संलग्नक : 1. जहां कहीं भी स्थान पर्याप्त न हो वहां कृपया कालानुक्रमिक रूप से और समुचित प्रतिसंदर्भ सहित जानकारी अनुबंध के रूप में संलग्न करें। 2. प्रत्येक पृष्ठ (अनुबंध सहित) पर उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक है।		
. 3 00 00 00 00 00		
नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)/ बोर्ड की टिप्पणी जिसमें वे इस बात से संतुष्ट हैं कि उपर्युक्त जानकारी पूर्ण व उचित है।		

निगमित अभिशासन में हरित पहल - कागज मुक्त बनें!!!

प्रिय शेयरधारक.

निगमित मामले मंत्रालय, भारत सरकार ('मंत्रालय') द्वारा हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से कंपनियों द्वारा कागज रहित अनुपालन की अनुमित देकर "कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हरित पहल" की है। हाल के परिपत्रों के संदर्भ में क्र.17/2011, दिनांक 21.04.2011 और 18/2011 दिनांक 29.04.2011, जिसके अंतर्गत कंपनियां अब पंजीकृत ई-मेल शेयरधारकों के पते पर इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से अपने शेयरधारकों को विभिन्न नोटिस/ दस्तावेज (जैसे एजीएम की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट आदि) भेज सकती हैं। यह बड़े पैमाने पर बैंक, शेयरधारकों और समाज के लिए एक स्वागत योग्य कदम है क्योंकि यह तेजी से संचार की सुविधा प्रदान करेगा और कागज की खपत को काफी हद तक कम करेगा जिससे शेयरधारकों को हरित वातावरण में अपना योगदान देने में सहायता मिलेगी।

ई-संप्रेषण के लिए पंजीकरण के लाभ:

- तुरंत संचार प्राप्त करें;
- कागज की खपत कम करें और पेडों को बचाएं;
- डाक प्रेषण में दस्तावेज़ के नुकसान से बचें;
- कागज और डाक पर लागत बचाएं।

यह हरित पहल में योगदान करने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बैंक) के प्रत्येक शेयरधारक के लिए एक सुनहरा अवसर है।.

इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आवश्यक शर्तें नीचे दी गई हैं:

- भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए: कृपया, भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से संचार प्राप्त करने के लिए बैंक / आरटीए के साथ अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत करवाएं और एजीएम नोटिस में दिए गए ईमेल आईडी पंजीकरण फॉर्म को विधिवत भरकर इसे रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट को हस्ताक्षरित कर वापस भेजें।
- डी-मैट रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए: अपने निक्षेपागार सहयोगी (डिपोंजिटरी पार्टिसीपेंट) या बैंक के साथ अपना ईमेल पता अपडेट करें।

कृपया ध्यान दें कि, यदि आप अभी भी सभी संचार और दस्तावेजों की हार्ड कॉपी / भौतिक प्रति प्राप्त करना चाहते हैं, तो बैंक आपको बिना किसी अतिरिक्त लागत के इसे प्रदान करेगा।

आप हमारी वेबसाइट https://www.bankofmaharashtra.in/Share-holders-Meeting-Updates.asp से ई-मेल आईडी पंजीकरण फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं।

इस हरित पहल में आपकी सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है।

धन्यवाद।

सादर, कृते बैंक ऑफ महाराष्ट्र

ह/-(विशाल सेठिया) कंपनी सचिव

ई-मेल आईडी पंजीकरण फार्म

प्रति.

एमसीएस शेयर टांसफर एजेन्ट लिमिटेड (आरटीए)

यूनिट: बैंक ऑफ महाराष्ट्र

पता : 3बी3 तीसरी मंजिल, गुंदेचा ऑनक्लेव, खेरानी रोड, साकीनाका अंधरी (ई), मुंबई - 400072

टेलीफोन: (022) 022-28516021-22

ईमेल: helpdeskmum@mcsregistrars.com / mparase@mscregistrars.com

वेबसाइट: www.mcsregistrars.com

प्रिय महोदय/ महोदया,

विषय: ई-मेल आईडी का पंजीकरण

मैं इलेक्ट्रॉनिक मोड में बैंक से शेयरधारकों के सभी भावी संचार जैसे नोटिस, व्याख्यात्मक विवरण/ वार्षिक रिपोर्ट/ दस्तावेज आदि प्राप्त करने के लिए सहमत हूं। सभी सूचनाएं/ दस्तावेज आदि ई-मेल के माध्यम से भेजने के लिए कृपया मेरे ई-मेल आईडी को अपने अभिलेख में पंजीकृत करें।

प्रथम /एकल शेयर धारक का नाम	
पंजीकृत फोलियो क्रमांक /डीपी आईडी-ग्राहक आईडी:	
पता	
ई-मेल आईडी	
संपर्क नं.:	

नोट: 1) शेयरधारकों से अनुरोध है कि ईमेल पते में कोई भी परिवर्तन होने पर बैंक को सूचित करें। जब तक आपके द्वारा लिखित रूप में एक और संप्रेषण भेजकर, दी गई ई-मेल आईडी नहीं बदली जाती है, बैंक आपको उपर्युक्त ई-मेल आईडी पर नोटिस, व्याख्यात्मक विवरण/ वार्षिक रिपोर्ट/ दस्तावेज इत्यादि भेजना जारी रखेगा। 2) यदि शेयर इलेक्ट्रॉनिक मोड में हैं, तो कृपया अपने डीपी के साथ अपना ई-मेल आईडी पंजीकृत करें।

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूं कि ऊपर दिए गए विवरण सही और पूर्ण हैं।

दिनांक : स्थान:

Bank of Maharashtra

Head Office: "Lokmangal", 1501, Shivajinagar, Pune – 411005

NOTICE

Notice is hereby given that the **Twenty Second (22nd) Annual General Meeting (AGM)** of the Shareholders of **Bank of Maharashtra** will be held on **Monday, 30**th **June, 2025 at 11.00 a.m.** through Video Conferencing (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM) to transact the following businesses:

ORDINARY BUSINESS:

Agenda Item No.1

To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet, Profit & Loss Account of the Bank for the year ended 31st March, 2025, the report of Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

Agenda Item No.2

To declare dividend on Equity Shares of the Bank for the financial year 2024-25

SPECIAL BUSINESS:

Agenda Item No. 3

To consider the proposal of raising of capital for the FY 2025-26 up to Rs. 7500 crore (Rupees Seven Thousand Five hundred Crore) through Follow-on Public offer (FPO)/Rights issue/ Qualified Institutional Placement (QIP) / Preferential issue/ ESPS or any other mode or combination of thereof and /or through issue of BASEL III Bonds or such other securities as may be permitted under the applicable laws subject to necessary approvals."

To consider and if thought fit, to pass the following resolution as a **Special Resolution**:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 ("The Act"), The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 ("The Scheme") and The Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004 ("The Regulations"), as amended from time to time and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("RBI"), the Government of India ("GOI"), the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 ("ICDR Regulations"), as amended up to date / guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, consent of the Shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document /prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares of the face value of Rs.10/- each, aggregating to not more than Rs.7,500/- crore

(Rupees Seven Thousand Five Hundred Crore only), (including premium) being within the ceiling of the Authorised Capital of the Bank as per Section 3(2A) of the Act, 1970, in such a way that the Government of India shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity capital of the Bank, whether at discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the Shareholders, Employees of the Bank, Indian Nationals, Non-Resident Indians ("NRIs"), Companies - private or public, Investment Institutions, Societies, Trusts, Research Organizations, Qualified Institutional Buyers ("QIBs") like Foreign Portfolio Investors ("FPIs"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity shares/ securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank.

RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be either by way of Public issue, Rights issue, Qualified Institutional Placements (QIPs), Preferential issue or in combination thereof with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 ("ICDR Regulations") and all other guidelines issued by RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit.

RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to issue shares to investors at such price or prices in such manner and where necessary in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines whether or not such investor(s) are existing shareholders of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations.

RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR Regulations), the Act, the provisions of the Regulations, the provisions of ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Non-Debt Instruments) Rules, 2019 and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP), and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as "the Appropriate Authorities") and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission and / or sanction (hereinafter referred to as "the requisite approvals") the Board may, at its absolute discretion, create, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 51% of the Equity Capital of the Bank, to QIBs (as defined in Chapter VI of the ICDR Regulations) pursuant to a Qualified Institutional Placement (QIP), as provided for under Chapter VI of the ICDR Regulations, through a placement document and/or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time.

RESOLVED FURTHER THAT in case of a Qualified Institutional Placement (QIP) pursuant to Chapter VI of the ICDR Regulations:

- a. the allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VI of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of this resolution or such other time as may be permitted under ICDR Regulations issued from time to time.
- b. the Bank is pursuant to proviso to Regulation 176(1) of ICDR Regulations authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price as determined in accordance with the Regulations.
- c. the relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations

RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI / Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.

RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares/securities, if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act.

RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004 as amended and shall rank in all respects pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.

RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares / securities, the Board, be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares / securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the shareholders and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board.

RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity shares/securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies.

RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares/securities are to be allotted, number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/exercise of warrants/redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and/or abroad, as the Board in its absolute discretion deem fit.

RESOLVED FURTHER THAT such of these equity shares as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law.

RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board, be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares / securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorisation to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution.

RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director and CEO or to Executive Director/(s) or such other officer of the Bank or a Committee as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."

Agenda Item no. 4

To approve appointment of M/s Joshi & Joshi, Practicing Company Secretary as Secretarial Auditor of the Bank for a term of 5 consecutive years from FY 2025-26 to 2029-30:

To consider and, if thought fit, to pass the following Resolution as an Ordinary Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to Regulation 24A and other applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with circulars issued thereunder from time to time (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force), and based on the recommendation of the Board of Directors of the Bank, the appointment of M/s Joshi & Joshi, Practicing Company Secretaries as the Secretarial Auditor of the Bank for a term of five consecutive years, commencing from the financial year 2025-26 to 2029-30, to conduct the Secretarial Audit and issue the Secretarial Audit Report and Annual Secretarial Compliance Report, at a professional fee of Rs.1,50,000/ - per financial year, approved by the Board of Directors of the Bank, be and is hereby approved."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, and things, and to sign all such documents and writings, as may be necessary to give effect to this resolution and for matters connected therewith or incidental thereto.

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Chief Financial Officer and/or the Company Secretary, to act severally for giving effect to the aforesaid resolutions."

Agenda Item No. 5

Election of Shareholder Director.

To elect ONE Director from amongst the Shareholders of the Bank, other than the Central Government, in respect of whom valid nominations as prescribed have been received, in terms of Section 9(3)(i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the "Act") read with The Banking Regulation Act, 1949 (hereinafter referred to as the "Regulation Act"), The Nationalised Banks (Management And Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the "Scheme") and Bank of Maharashtra (Shares & Meetings) Regulations, 2004 (hereinafter referred to as the "Regulations") and RBI Master Direction DBR.APPT.No.:9/29.67.001/2019-20 dated August 2019 and DBR.Appt.BC.No.39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016 of Reserve Bank of India (hereinafter referred to as 'RBI Notifications') and further amendments thereto, Office Memorandum ref.no. F.No.16/83/2013-BOI dated September 3, 2013 from Government of India (GOI) and F.No.16/51/2012-BO.I dated April 28, 2015 (the extant Govt. of India quidelines) read with Guidelines dated July 08, 2016 issued by Government of India for consideration as Non-Official Directors of Public Sector Banks (hereinafter referred to "GOI Guidelines") and further amendments, if any, made thereto and to pass the following resolution:

"RESOLVED THAT one director elected as Director from amongst Shareholders, other than the Central Government, pursuant to Section 9(3)(i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with relevant Scheme, Regulations made thereunder, Reserve Bank of India Notification and Government of India Guidelines, be and is hereby appointed as a Director of the Bank and shall hold the office for a term of three years from the date of assumption of Office."

Upon election, the aforesaid Resolution shall also be considered to be passed under the provisions of Regulation 25 (2A) of SEBI Listing Regulations.

By order of Board of Directors

Date: 7th June 2025

Place : Pune

(Vishal Sethia) Company Secretary

NOTES

- 1. The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business at agenda item No.3, 4, 5 at the meeting is annexed hereto.
- 2. Ministry of Corporate Affairs vide General circular No. 20/2020 dated 05.05.2020 has permitted companies to hold AGMs through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM). Subsequently, similar circulars, last circular being circular no. 09/2024 dated 19.09.2024 has been issued by MCA to allow AGM through VC/OAVM mode till 30.09.2025. SEBI has also in line with the aforesaid circulars issued by MCA, granted relaxations to listed entities vide circular no. SEBI/HO/CFD-POD/P/CIR/2024/133 dated 03.10.2024. In view of the same, the 22nd AGM of the Bank will be conducted through VC / OAVM. Hence, Members can attend and participate in the ensuing AGM through VC/OAVM only. The Head Office of Bank situated at Pune shall be deemed to be the venue of the AGM.

3. APPOINTMENT OF PROXY:

In terms of the MCA Circulars, since the physical attendance of Members has been dispensed with, there is no requirement of appointment of proxies. Accordingly, the facility of appointment of proxies by Members under Regulation 70(vi) of the Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004 will not be available for the AGM. Therefore, instrument for appointing proxy and attendance slip is not being attached herewith.

4. APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE:

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been sent to the investor_services@mahabank.co.in not less than four days before the date of meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank i.e. 5.00 p.m. on Wednesday, 25th June, 2025.

- 5. The attendance of the Shareholders attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of ascertaining the guorum under the Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004.
- 6. In compliance with the MCA Circulars and SEBI Circular dated 13th May, 2022, Notice of the AGM along with the Annual Report 2024-25 is being sent only through electronic mode to those Shareholders whose email addresses are registered with the Bank / Depositories. Shareholders may note that the AGM Notice and Annual Report 2024-25 of Bank will also be available on the Bank's website www.bankofmaharashtra.in, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of CDSL https://www.evotingindia.com

Process to register the email id for receiving Bank's AGM Notice and Annual Report and updation of Bank account details for payment of dividend:

For Physical Shareholders: Shareholders holding shares in physical form, (whose email ids are not registered) can register their email id and update their Bank account details with Bank's RTA by sending either physical copy of duly filled-in **ISR-1** form to MCS Share Transfer Agent Ltd., 3B3 3rd Floor Gundecha Onclave, Kherani Road, Sakinaka Andheri (E), Mumbai – 400072 or by sending mail at helpdeskmum@mcsregistrars.com / mparase@mcsregistrars.com

For Shareholders holding shares in Demat form: Shareholders holding shares in dematerialized mode and whose email ids / Bank account details are not registered are requested to register/update their email addresses, mobile numbers and Bank account details with their relevant depositories through their Depository Participants.

- 8. Since the AGM will be held through VC / OAVM, the Route Map of venue of meeting is not annexed in this Notice.
- 9. The facility to attend the AGM through VC / OAVM will be provided through the Central Depository Services of India Limited (CDSL). The detailed instructions pertaining to remote e-voting, joining the AGM through VC / OAVM and Voting at the AGM are given separately hereunder.

- 10. The Members can join the AGM in the VC / OAVM mode 15 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The facility of participation at the AGM through VC / OAVM will be made available to at least 1000 members on first come first served basis. This will not include large Members (Members holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc. who are allowed to attend the AGM without restriction on account of first come first served basis.
- 11. Shareholders of Bank, who have not registered their email addresses with Bank / Depositories / RTA can obtain the Notice of AGM and Annual Report 2024-25 by sending email to investor_services@mahabank.co.in / mparase@mcsregistrars.com. Further, in terms of recent amendments in SEBI guidelines, Bank has also sent a communication to those shareholders whose email ids are not registered with Bank/ Bank's RTA intimating them the path of Bank's website where Annual Report and AGM notice will be available.

12. Record date for Dividend:

The Bank has fixed Friday, 9th May, 2025 as the Record Date for the purpose of ascertaining the entitlement of Shareholders for dividend for the financial year ended 31st March, 2025.

13. SPECIFIED DATE FOR ELECTION OF SHAREHOLDER DIRECTOR (AGENDA ITEM NO. 5):

For the purpose of determining the Shareholders entitled to participate in the Election i.e., to Nominate, Contest and Vote for the Election of ONE Director representing the Shareholders of the Bank, other than the Central Government, Friday, 23rd May, 2025 is fixed as the Specified Date, as mentioned in the Notice. Thus, Voting Rights of shareholders in respect of election of Shareholder Director shall be reckoned as on Friday, 23rd May, 2025.

14. Payment of Dividend:

The Board of Directors of the Bank at their meeting held on 25th April, 2025 has recommended dividend @ Rs. 1.50 per equity share of Rs.10 /- each fully paid up, for the financial year ended 31st March, 2025. Dividend as recommended by the Board of Directors and if approved at the 22nd Annual General Meeting of Bank will be paid to those shareholders, subject to deduction of tax at source, whose names appear:

- a. as Beneficial Owners at the end of the business hours on 9th May, 2025 as per the list to be furnished by the Depositories (i.e. NSDL and CDSL) in respect of shares held in electronic form, and;
- b. as Members in the Register of Members of the Company after giving effect to all valid transmission and transposition requests lodged with the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank on or before Friday, 9th May, 2025.
- c. The dividend will be distributed to the eligible shareholders by 29th July, 2025.

15. TDS on Dividend:

- a. Pursuant to Provision of Income Tax Act, 1961, dividend income is taxable in the hands of shareholders w.e.f. 1st April, 2020 and the Bank is required to deduct tax at source from dividend paid to shareholders at the prescribed rates. For the prescribed rates for various categories, the shareholders are requested to refer to the provisions of Income Tax Act, 1961 and amendments thereof. The shareholders are requested to update their PAN with the Bank / RTA (in case of shares held in physical form) and Depositories (in case of shares held in demat form).
- b. A resident individual shareholder with PAN and who is not liable to pay income tax can submit a yearly declaration in Form No. 15G/15H, to avail the benefit of non-deduction of tax at source by email to RTA. Shareholders are requested to note that in case their PAN is not registered, the tax will be deducted at a higher rate. Non-resident shareholders can avail beneficial rates under tax treaty between India and their country of residence, subject to providing necessary documents i.e. No Permanent Establishment and Beneficial Ownership Declaration, Tax Residency Certificate, Form 10F, any other document which may be required to avail the tax treaty benefits by sending an email to RTA at mparase@mcsregistrars.com
- c. The aforesaid declarations and documents are required to be submitted by the shareholders through mail on mparase@mcsregistrars.com on or before 15th May, 2025 to enable the Bank to determine the TDS/withholding tax rate on the dividend amount. No communication on the tax rate, tax deduction / determination shall be entertained by the Company after 15th May, 2025. Bank has also sent emails to the shareholders in this regard.

- **16.** In case of joint holders, the Member whose name appears as the first holder in the order of names as per the Register of Members of the Bank will be entitled to vote at the AGM.
- 17. Members seeking any information with regard to the accounts or any matter to be placed at the AGM, are requested to write to the Bank on or before Friday, 20th June, 2025 through email on investor services@mahabank.co.in. The same will be replied by the Bank suitably.

18. Norms for furnishing of PAN, KYC, Bank details and Nomination:

SEBI vide circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/ P/ CIR /2023/ 37 dated 16.03.2023 in supersession of SEBI circular no. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/ CIR/2021/655 dated 3rd November 2021 has instructed to mandatorily furnish PAN, KYC details and Nomination by holders of physical securities. In other words, it shall be mandatory for all holders of physical securities in listed companies to furnish PAN, Nomination, Contact details, Bank A/c details and Specimen signature for their corresponding folio numbers. Accordingly, it is once again reiterated that it is mandatory for all holders and claimants of physical securities to furnish PAN details to RTA. Pursuant to above SEBI circular, the shareholders are requested to furnish valid PAN, email address, mobile number, Bank account details and nomination details immediately in the below mentioned forms to the RTA:

Sr. No	Form	Purpose
1	Form ISR-1	To register/update PAN, KYC details
2	Form ISR-2	To Confirm Signature of securities holder by the Bank
3	Form ISR-3	Declaration Form for opting-out of Nomination
4	Form SH-13	Nomination Form
5	Form SH-14	Cancellation or Variation of Nomination (if any)

All above Forms [ISR-1, ISR-2, ISR-3, SH-14] and the said SEBI circular are available on our website www.bankofmaharashtra.in. In view of the above, we request the shareholders to submit the duly filled-in Investor Service Request forms along with the supporting documents to Bank's RTA at below address:

Details of the RTA:

MCS Share Transfer Agent Limited, (Unit: Bank of Maharashtra)

Address: 3B3 3rd Floor Gundecha Onclave, Kherani Road,

Sakinaka Andheri (E) , Mumbai - 400072

Phone: 022-28516021-22

E-mail: helpdeskmum@mcsregistrars.com / mparase@mcsregistrars.com

Website: www.mcsregistrars.com

19. Holding of shares in Electronic Form

In respect of shareholders who hold shares in the dematerialized form and wish to update their PAN, KYC, Bank Details and Nomination are requested to contact their respective Depository Participants.

Communication with Share Transfer Agents

Shareholders are requested to intimate changes, if any, in their registered address or any other particulars through their Depository Participant in case of DEMAT shares and directly in case of physical shares to the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank at the following address:

MCS Share Transfer Agent Limited,

(Unit: Bank of Maharashtra)

Address: 3B3 3rd Floor Gundecha Onclave,

Kherani Road, Sakinaka Andheri (E), Mumbai - 400072

Tel. 022 - Phone : 022-28516021-22

E-mail: helpdeskmum@mcsregistrars.com / mparase@mcsregistrars.com

Website: www.mcsregistrars.com

20. Dematerialization of Physical Holdings:

In terms of extent SEBI guidelines, Bank shall not process transfer of securities which are held in physical form. Further transmission or transposition of securities held in physical or dematerialised form shall be effected only in dematerialised form. Accordingly, the shareholders holding shares in physical form are requested to convert them to demat form compulsorily if they wish to effect any transfer. Requests for transmission and transposition of securities in physical form needs to be submitted to RTA.

In view of the aforesaid amendment, the shareholders of the Bank, who are holding physical shares of Bank of Maharashtra, are once again requested to get their shares dematerialized. Shareholders can open a demat account in either of the two Depositories, viz. National Securities Depository Ltd., or Central Depository Services India Ltd through any of the depository participant

21. Benefits of Dematerialization of Shares:

The benefits of dematerialization of shares are as under:

- No threat of loss and wear and tear of share certificate
- Easy and convenient way to hold securities
- Immediate transfer of securities
- Reduced paperwork for transfer of securities
- Reduced transaction cost
- Dividend directly credited to your Bank Account.

22. Unclaimed/Unpaid Dividend, if any:

In terms of Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970), any amount of dividend which is transferred to unpaid dividend account and remains unpaid / unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer shall be transferred to "Investor Education and Protection Fund" (IEPF) established under Section 205C(1) of the Companies Act, 1956/ Section 125 of the Companies Act, 2013.

In line with the above provisions, all such amounts of dividend remaining unpaid / unclaimed for the financial years till 2014-15 has been transferred to "Investor Education and Protection Fund". The Shareholders who have not encashed their dividend warrants for the financial year 2021-22 onwards are advised to approach the Bank's Registrar and Share Transfer Agent at aforesaid address.

The unclaimed dividend amount can be claimed from the IEPF Authority by making an application in the prescribed Form IEPF-5 and sending the physical copy of the same duly signed (as per the specimen signature recorded with the Bank) along with the requisite documents enumerated in Form IEPF-5 to the Bank's RTA. The IEPF Rules and the application Form IEPF-5 as prescribed by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) for claiming back the unclaimed dividend are available on the website of the Bank at www.bankofmaharashtra.in as well as the website of MCA at www.iepf.gov.in

23. Voting Rights:

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

As per Regulation 10 of the Bank of Maharashtra (Shares & Meetings) Regulations, 2004 if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and vote on the Agenda item either through remote e-voting or voting at the meeting.

24. Information and other instructions relating to e-voting process are as under:

- i. CUT-OFF DATE FOR AGENDA ITEM NO. 1, 2, 3, 4 and 5: Pursuant to Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended, Voting Rights of the Shareholders in respect of the agenda item no. 1, 2, 3 and 4 shall be reckoned as on Monday, 23rd June, 2025. The cut-off date for agenda item no. 5 is mentioned in point no. 13 of this notice.
- ii. REMOTE E-VOTING: Pursuant to Regulation 44(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, your Bank is pleased to provide remote e-voting facility to enable Shareholders to cast their votes electronically on the item mentioned in the notice for which Bank has appointed Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as the remote e-voting service providing agency to provide the remote e-voting platform. The Bank has appointed M/s. S. N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries, Thane as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting process in a fair and transparent manner. Remote E-voting is optional. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in Dematerialized form, as on the Cut off Date and / or on the Specified Date may cast their vote electronically. Remote e-voting facility shall remain open to all shareholders from 09:00 a.m. on Thursday, 26th June, 2025 till 05:00 p.m. on Sunday, 29th June, 2025 and the e-voting platform will

THE INTRUCTIONS OF SHAREHOLDERS FOR E-VOTING AND JOINING VIRTUAL MEETINGS ARE AS UNDER:

Step 1 : Access through Depositories CDSL/NSDL e-Voting system in case of individual shareholders holding shares in demat mode.

(i) In terms of SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email ld in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

Pursuant to abovesaid SEBI Circular, Login method for e-Voting and joining virtual meetings for Individual shareholders holding securities in Demat mode CDSL/NSDL is given below:

Type of shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with CDSL Depository	 Users who have opted for CDSL Easi / Easiest facility, can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The users to login to Easi / Easiest are requested to visit cdsl website www.cdslindia.com and click on login icon & My Easi New (Token) Tab. After successful login the Easi / Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies where the evoting is in progress as per the information provided by company. On clicking the evoting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. Additionally, there is also links provided to access the system of all e-Voting Service Providers, so that the user can visit the e-Voting service providers' website directly. If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at cdsl website www.cdslindia.com and click on login & My Easi New (Token) Tab and then click on registration option. Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing Demat Account Number and PAN No. from a e-Voting link available on www.cdslindia.com home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the
	e-Voting option where the evoting is in progress and also able to directly access the system of all e-Voting Service Providers.

Type of shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL Depository	 If you are already registered for NSDL IDeAS facility, please visit the e-Services website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://eservices.nsdl.com either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Services is launched, click on the "Beneficial Owner" icon under "Login" which is available under 'IDeAS' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services. Click on "Access to e-Voting" under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be re-directed to e-Voting service provider website for casting your vote during the meeting. If the user is not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com. Select "Register Online for IDeAS "Portal or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen digit demat account number hold with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. For OTP based login you can click on https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp. You will have to enter your 8-digit DP ID,8-digit Client Id, PAN No, Verification code and generate OTP. Enter th
Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their Depository Participants (DP)	You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. After Successful login, you will be able to see e-Voting option. Once you click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 21 09911
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at: 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000

Step 2 : Access through CDSL e-Voting system in case of shareholders holding shares in physical mode and non-individual shareholders in demat mode.

- (ii) Login method for e-Voting and joining virtual meetings for Physical shareholders and shareholders other than individual holding in Demat form.
- 1. The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.
- 2. Click on "Shareholders" module.
- 3. Now enter your User ID
- a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
- b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
- c. Shareholders holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Company.
- 4. Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
- 5. If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier e-voting of any company, then your existing password is to be used.
- 6. If you are a first-time user follow the steps given below:

	For Physical shareholders and other than individual shareholders holding shares in Demat.
PAN	For Physical shareholders and other than individual shareholders holding shares in Demat. Enter your 10 digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) • Shareholders who have not updated their PAN with the Company/Depository Participant are requested to use the sequence number sent by Company/RTA or contact Company/RTA.
Dividend Bank Details OR Date of Birth (DOB)	 Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the company records in order to login. If both the details are not recorded with the depository or company, please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field.

- iii. After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.
- iv. Shareholders holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, shareholders holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- V. For shareholders holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.

- vi. Click on the EVSN for the relevant <Company Name> on which you choose to vote.
- vii. On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.
- viii. Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.
- ix. After selecting the resolution, you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.
- X. Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- xi. You can also take a print of the votes cast by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.
- xii. If a demat account holder has forgotten the login password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.
- xiii. There is also an optional provision to upload BR/POA if any uploaded, which will be made available to scrutinizer for verification.
- **xiv.** Additional Facility for Non Individual Shareholders and Custodians –For Remote Voting only. Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodians are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves in the "Corporates" module.
 - a. A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
 - b. After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
 - c. The list of accounts linked in the login will be mapped automatically & can be delink in case of any wrong mapping.
 - d. It is Mandatory that, a scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
 - e. Alternatively Non Individual shareholders are required mandatory to send the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory who are authorized to vote, to the Scrutinizer and to the Company at the email address viz; investor_services@mahabank.co.in , if they have voted from individual tab & not uploaded same in the CDSL e-voting system for the scrutinizer to verify the same.

INSTRUCTIONS FOR SHAREHOLDERS ATTENDING THE AGM THROUGH VC/OAVM & E-VOTING DURING MEETING ARE AS UNDER:

- 1. The procedure for attending meeting & e-Voting on the day of the AGM is same as the instructions mentioned above for e-voting.
- 2. The link for VC/OAVM to attend meeting will be available where the EVSN of Company will be displayed after successful login as per the instructions mentioned above for e-voting.
- 3. Shareholders who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the meeting. However, they will not be eligible to vote at the AGM
- 4. Shareholders are encouraged to join the Meeting through Laptops / IPads for better experience.
- **5.** Further shareholders will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
- 6. Please note that Participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to Fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

- 7. Shareholders who would like to express their views/ask questions during the meeting may register themselves as a speaker by sending their request in advance atleast 7 days prior to meeting mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at investor_services@mahabank.co.in. The shareholders who do not wish to speak during the AGM but have queries may send their queries in advance 7 days prior to meeting mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at investor_services@mahabank.co.in. These queries will be replied to by the company suitably by email.
- **8.** Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting.
- 9. Only those shareholders, who are present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system available during the AGM.
- **10.** If any Votes are cast by the shareholders through the e-voting available during the AGM and if the same shareholders have not participated in the meeting through VC/OAVM facility, then the votes cast by such shareholders may be considered invalid as the facility of e-voting during the meeting is available only to the shareholders attending the meeting.

PROCESS FOR THOSE SHAREHOLDERS WHOSE EMAIL/MOBILE NO. ARE NOT REGISTERED WITH THE COMPANY/DEPOSITORIES.

- 1. For Physical shareholders- please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) by email to Company/RTA email id.
- 2. For Demat shareholders -, Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP)
- 3. For Individual Demat shareholders Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP) which is mandatory while e-Voting & joining virtual meetings through Depository.

If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the CDSL e-Voting System, you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 21 09911

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL,) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call toll free no. 1800 21 09911.

3. SCRUTINIZERS AT E-VOTING AT AGM:

M/s. S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co., Company Secretaries, Thane shall act as Scrutinizer for both the remote e-voting and e-voting process to be conducted at the 22nd AGM.

4. RESULTS OF E-VOTING:

The Results of the voting at the AGM aggregated with the results of the remote e-voting shall be placed on the website of the Bank www.bankofmaharashtra.in and on the website of CDSL immediately after the declaration of result by the Chairman or a person authorized by him in writing. The results shall also be immediately forwarded to the Stock Exchanges.

EXPLANATORY STATEMENT:

Agenda Item No.3:

TO CONSIDER THE PROPOSAL OF RAISING CAPITAL FOR THE FY 2025-26 AGGREGATING UPTO RS 7,500 CRORE THROUGH FOLLOW-ON PUBLIC OFFER (FPO)/RIGHTS ISSUE/ QUALIFIED INSTITUTIONAL PLACEMENT(QIP) / PREFERENTIAL ISSUE/ ESPS OR ANY OTHER MODE OR COMBINATION OF THEREOF AND /OR THROUGH ISSUE OF BASEL III BONDS OR SUCH OTHER SECURITIES AS MAY BE PERMITTED UNDER THE APPLICABLE LAWS SUBJECT TO NECESSARY APPROVALS.

- i. During the financial year 2024-25, Bank has not received any equity capital from GOI under recapitalization plan. The Bank raised ₹3,500 crore in equity share capital (including share premium) through a Qualified Institutional Placement (QIP) on October 5, 2024. This resulted in the issuance and allotment of 61,01,81,311 new equity shares of ₹10 each to investors at a premium of ₹47.36 per share. The Bank issued Basel III-compliant Tier-II bonds worth ₹1,000 crore on July 4, 2024. As of March 31, 2025, the capital adequacy ratio stood at 20.53%, comfortably exceeding the regulatory requirement of 11.50% (including the Capital Conservation Buffer) under Basel III norms. The Common Equity Tier 1 (CET1) capital ratio was robust at 15.83%.
- ii. The equity capital as above said will be raised with due approvals from the Government of India, Reserve Bank of India and such other authorities as laid down in The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970, The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 and subject to the relevant guidelines / regulations of SEBI and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
- **iii.** The Board of Directors at their meeting held on 25th April, 2025 have given their approval to raise an equity capital upto Rs.7,500/- crore (including share premium) through the different available options and has recommended the passing of the resolution as mentioned in the notice.
- iv. The Authorized Capital of the Bank is, at present, Rs.10000 crore. The Paid up Equity Share capital of the Bank as on 31st March, 2025 is Rs. 7691.56 crore.
- **v.** The Present resolution is proposed in order to enable the Board of Directors of the Bank to issue equity shares at an appropriate time, mode, premium and other terms.
- vi. The equity shares issued shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank including dividend.
- vii. None of the Directors of the Bank, are concerned or interested in the Resolution.

Agenda Item no. 4:

TO APPROVE APPOINTMENT OF M/S JOSHI & JOSHI, PRACTICING COMPANY SECRETARIES AS SECRETARIAL AUDITOR OF THE BANK FOR A TERM OF 5 CONSECUTIVE YEARS FROM FY 2025-26 TO 2029-30:

Pursuant to Regulation 24A of the SEBI Listing Regulations, every listed entity is required to conduct a Secretarial Audit by a Secretarial Auditor who shall be Peer Reviewed Company Secretary and annex a Secretarial Audit Report to its annual report. Additionally, a listed entity must appoint a Secretarial Audit firm for a maximum of one term (in case of individual)/ two terms (in case of firm) of five consecutive years, with the approval of its shareholders in its Annual General Meeting. Accordingly, the Board of Directors of the Bank at their meeting held on 06.06.2025 has recommended the appointment of M/s Joshi & Joshi (Unique Code No. P2009MH020200) Practicing Company Secretaries as the Secretarial Auditor of the Bank for a term of five consecutive years, commencing from the financial year 2025-26 to 2029-30.

Brief Profile of M/s Joshi & Joshi, Practicing Company Secretaries:

Joshi & Joshi is a full-service firm of Company Secretaries based in Pune. The Firm commenced its operations in December 2009 (then Apte Joshi & Associates). CS Raghavendra Joshi, Founder Partner, has vast experience of close to four decades in this profession and CS Harshal Joshi, Partner, has been in the profession since 2009. The Firm has been providing services to its clients and provides a wide array of advisory and compliance management services ranging from business set-up, capital infusion, private equity transactions, winding-up, among others. Apart from this, the Firm is engaged in matters pertaining to FEMA, Insolvency and Bankruptcy Code, Oppression and Mismanagement, Corporate Restructuring, Corporate Litigations and appearances and Legal advisory and drafting services to name a few. The Firm along with its Associate Entity, is also involved in providing Merchant Banking services.

M/s. Joshi and Joshi have given their consent to act as Secretarial Auditors of the Bank and confirmed that their aforesaid appointment (if made) would be within the prescribed limits under the applicable Act, Rules made thereunder and SEBI (LODR) Regulations. They have also confirmed that they are not disqualified to be appointed as Secretarial Auditors in terms of provisions of the applicable Act & Rules made thereunder and SEBI (LODR) Regulations.

Agenda Item No. 5 ELECTION OF ONE SHAREHOLDER DIRECTOR

- i. As per Section 9 (3) (i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, where the capital issued under clause (c) of sub section 2B of Section 3 is more than sixteen per cent but less than thirty two percent of the total paid up capital of the Bank, the Board of Bank should have two Directors duly elected by the shareholders, other than the Central Government, from amongst themselves.
- ii. The Shareholders of the Bank have already elected Shri Praveen Kumar as a Shareholder Director who assumed office on 30.06.2024. As per the above guidelines, the Bank is entitled to elect one more director, amongst shareholders, other than the Central Government.
- iii. The Board at its meeting held on 12.05.2025 has approved to conduct the election to fill in this vacancy of One Shareholder Director on the Board of the Bank for a period of 3 years from the Date/Deemed Date of assumption of office.
- iv. The Shareholders (other than the Central Government) are therefore entitled to send their nominations as per the procedure detailed in various and relevant Acts / Scheme /Regulations / Notification /Directions from the Central Government/ RBI.

None of the Directors / Key Managerial Persons of the Bank is interested or concerned in the aforementioned resolutions, except to the extent of their shareholding in the Bank.

LEGAL PROVISIONS:

The following table indicates the provisions contained in various Acts / Regulations / Scheme / Notifications applicable in this regard:

ACT/SCHEME/REGULATIONS / NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
The Banking Regulation Act, 1949	Section 5 (n-e)	Substantial Interest
	Section 16 (1)	Prohibition of Common Directors
	Section 20	Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its directors
	Section 51	Applicability of certain sections of Act to a corresponding new Bank.
The Banking Companies	Section 3 (2E)	Restriction on voting rights
(Acquisition and Transfer of	Section 9(3)(i)	No. of directors to be elected by the shareholders
Undertakings) Act, 1970	Section 9(3A) (A) to (C)	Special knowledge in certain fields No person shall be eligible to be elected as director
	Section 9(3AA)& Section 9(3AB)	unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe.
	Section 9(3B)	Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfill the requirements of Section 9(3A) and 9(3AA) of the said Act.
	Section 13(2)	Obligation as to fidelity and secrecy
The Nationalised Banks	Clause 9(4)	Term of office of elected directors
(Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970	Clause 10	Disqualifications from being elected as a Director of the Bank
	Clause 11	Vacation of office of Director
	Clause 11A	Removal from office of an elected Director
	Clause 11B	Filling of casual vacancy in the office of an elected Director
	Clause 12(8)	Disclosure of interest by directors in certain arrangements in which they are interested.

ACT/SCHEME/REGULATIONS / NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
The Bank of Maharashtra	Regulation 10	Exercise of rights of joint holders
(Shares and Meetings) Regulations, 2004	Regulation 61	Voting at General Meetings
Regulations, 2004	Regulation 63	Directors to be elected at General Meetings
	Regulation 64	List of Shareholders
	Regulation 65	Nomination of candidates for election
	Regulation 66	Scrutiny of nominations
	Regulation 67	Election disputes
	Regulation 68	Determination of voting rights
	Regulation 69	Voting by duly authorized representative
	Regulation 70	Proxies
RBI/DBR/2019-20/71, Master Direction DBR.APPT No.: 9/29.67.001/2019-20 dated August 2, 2019.	Pursuant to Section 9(3AA) and Section 9(3AB) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Fit and Proper criteria for elected Directors on the Board of Nationalized Banks
Letter dated 3rd September 2013 vide Ref F. No. 16/83/2013-BO.I issued by Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services and Criteria laid down by the Central Government for consideration as a Non Official Director (NOD) in Public Sector Banks issued on March 25, 2015 read with GOI letter F.No.16/51/2012-BO.I.dated 28th April 2015 and dated 20th July 2016 and subsequent amendments thereto, if any.		Criteria laid down by the Central Government for consideration as a Non-Official Director (NOD) in Public Sector Banks
RBI Master Circular DBR. No. Dir. BC. 10/13.03.00/2015-16 dated July 1, 2015		Granting loans and advances to relatives of Directors
SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015		Provisions relating to Independent Director

For the convenience of the Shareholders, the relevant extracts from The Acts, The Regulation Act, The Scheme / The Regulations as well as RBI Master Direction DBR.APPT.No.: 9/29.67.001/2019-20 dated August 2, 2019, RBI Notification DBR.Appt.BC. No.39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016, GOI Guidelines dated March 25, 2015 and July 20, 2016 will be hosted on the Bank's website i.e. www.bankofmaharashtra.in which can be viewed / downloaded by the user. Such extracts will also be e-mailed to the intending candidates on receipt of a request addressed to the Company Secretary, Bank of Maharashtra at its Head Office at investor_services@mahabank.co.in on or before the last date fixed for submission of nomination forms viz., **Friday, 13th June, 2025.**

A. PARTICIPATION IN ELECTION:

Those shareholders whose names appear on the Register of Shareholders / Beneficial Owners as furnished by NSDL / CDSL as on the **Specified Date** i.e., on **Friday, 23rd May, 2025** shall be entitled to participate i.e., **Nominate, Contest and Vote** in election of one Director from amongst Shareholders, other than the Central Government.

It may be noted that, Central Government is not entitled to participate in the election of Director, but may attend the AGM as an Observer.

B. QUALIFICATIONS REQUIRED FOR BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK:

In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate, being a shareholder of the Bank and who desires to be elected as Director of the Bank under Section 9(3)(i) of the Act shall

- A. have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following matters namely: -
- i. agriculture and rural economy
- ii. banking
- iii. co-operation
- iv. economics
- v. finance
- vi. law
- vii. small scale industry
- viii. any other matter the special knowledge of, and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank of India be useful to the Bank.
- B. represents the interest of depositors; or
- C. represents the interest of farmers, workers and artisans

RBI vide its Notification DBR.Appt.BC.No.39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016 has extended the fields of specialization to include:

- i. Information Technology
- ii. Payment & Settlement Systems
- iii. Human Resources
- iv. Risk Management and
- v. Business Management,

In terms of Section 9(3AA) of the Act and RBI Notification candidate being a shareholder of the Bank, who desires to be a Director of the Bank, should possess 'Fit and Proper' status.

In terms of Section 9(3AB) of the Act, the Reserve Bank may also specify in the notification issued under subsection 3(AA), the Authority to determine the 'Fit and Proper' status, the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto. Further the elected Director should execute the Deed of Covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

C. DISQUALIFICATIONS FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK:

In terms of Clause 10 of The Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being a Director:

- a. if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
- b. if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a Competent Court; or
- c. if he has been convicted by Criminal Court of an offence which involves moral turpitude; or
- d. if he holds any office of profit under any nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of whole time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank and;

e. If he is not found to be 'Fit and Proper' person in terms of Notification of Reserve Bank of India RBI Master Direction DBR.APPT No.9/29.67.001/2019-20 dated August 2, 2019 and RBI Notification No. DBR.Appt.BC.No.39/ 29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016 and Government of India guidelines No.F.No.16/51/2012-BO.I dated April 28, 2015 and dated July 26, 2016 read with OM dated September 03, 2013 by the Nomination Committee of the Directors of the Bank.

As provided in Regulation 64 of The Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004, a copy of the List of Shareholders (in electronic form i.e., CD or such other media) will be available at Investor Services Department, Bank of Maharashtra, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005 from 9th June, 2025 for purchase by Shareholders on a pre-payment of Rs.10,000/- (Rupees Ten Thousand only) for soft copy on CD and Rs.50,000 (Rs. Fifty Thousand only) for hard copy, by way of demand draft /pay order on a Scheduled Bank in favor of 'Bank of Maharashtra' payable at Pune.

The candidates desirous of purchasing the said list shall have to give a request letter addressed to Company Secretary & Board Secretary, Investor Services Department, Bank of Maharashtra, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune - 411005 or on mail on investor_services@mahabank.co.in with an undertaking that the list will be used in canvassing for the election and shall not be used for any other purpose whatsoever.

E. INSPECTION OF THE REGISTER OF SHAREHOLDERS:

The Register of Shareholders will be open for inspection by the Shareholders, at the Head Office of the Bank with the office of the Investor Services Department, Bank of Maharashtra, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune - 411005 on all working days (other than Second and Fourth Saturday, Sundays and Bank Holidays) between 10.00 a.m. to 5.00 p.m. for the purpose of enabling the contestants to take extracts of any part from the Register of the Shareholders. Shareholders who are desirous of inspecting the Register of Shareholders are required to intimate the Company Secretary of the Bank at investor_services@mahabank.co.in and on 020 - 25511360 atleast one working day before the day of inspection. The last date for such inspection is Friday, 13th June, 2025.

If any shareholder requires a copy or computer print of select / part information of the same shall be supplied to him on payment at the rate of Rs.5/- for every 1,000 words or fractional part thereof required to be copied.

F. NOMINATION OF CANDIDATES FOR ELECTION:

In terms of Regulation 65 of the Regulations, Reserve Bank of India Master Direction DBR.APPT. No.9/29.67.001/2019-20 dated August 2, 2019, RBI Notification No. DBR.Appt.BC.No.39/ 29.39.001/2016- 17 dated November 24, 2016 and Letter dated September 03, 2013 vide Ref F. No.16/83/2013-BO.I issued by Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services and Criteria laid down by the Central Government for consideration as a NOD in Public Sector Banks issued on April 28, 2015 and July 26, 2016 (GOI Guidelines) and other applicable provisions of various Acts/ Guidelines/ Directives, nomination of a candidate for election as a Director shall be accepted provided:

- a. He / she is a shareholder holding not less than 100 (One hundred) shares of the Bank as on Friday, **23rd May**, **2025** being the **Specified Date** of reckoning for participation in the election and continues to hold a minimum of 100 shares till the date of the meeting and thereafter till the end of his/her tenure, if he/she is elected.
- b. As on **Friday**, **13th June**, **2025** being the last date for receipt of nomination, he / she is not disqualified to be Director under the Acts / Scheme / Regulations / RBI Notifications /GOI Guidelines.
- c. The nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder who is a company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Head Office of the Bank addressed to the Board Secretary, Investor Services Department, Bank of Maharashtra, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune 411005 and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company.
- d. The valid nominations by the shareholders (Minimum 100) are accompanied by declaration by the candidate as per the specimen form of nomination and declaration furnished in this notice duly signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any Nationalized Bank, that he / she accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he / she is not disqualified either under the Act or Regulation Act or the Scheme or the Regulations or applicable GOI guidelines from being a Director along with his / her personal details (bio data) duly signed and affirming that such details are true to the best of his / her knowledge and belief and also his / her undertaking to keep the Bank fully informed as soon as possible of such events which are relevant to the information, subsequent to the declaration.

- e. The nomination forms and declaration form are as prescribed by the Regulations and as per the proforma annexed to this Notice (The proforma is also available on the Bank's website i.e. www.bankofmaharashtra.in)
- f. He / She is not disqualified under The Banking Regulation Act, 1949 or The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 or The Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 or The Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004 (hereinafter referred to as "The Regulations") and RBI Master Direction DBR.APPT No.: 9/29.67.001/2019-20 dated August 2, 2019 and RBI Notification No. Appt.BC.No.39/ 29.39.001/2016- 17 dated November 24, 2016 and Letter F.No.16/51/2012-BO-I, dated April 28, 2015 read with Guidelines dated July 20, 2016 issued by Government of India for consideration as Non-Official Directors of Public Sector Banks (hereinafter referred to "GOI Guidelines") and further amendments, if any, made thereto.

G. SUBMISSION OF NOMINATION FORMS:

Shareholders desirous of contesting the election of the Director of the Bank from amongst the shareholders, other than the Central Government, should submit following documents in the formats annexed to this notice, in a sealed envelope, marked "Nomination for Shareholder Director - AGM 2025" to the Board Secretary, Investor Services Department, Bank of Maharashtra, 'Lokmangal' 1501, Shivajinagar, Pune - 411005, on any working day not less than fourteen days before the date fixed for the AGM i.e., on or before closing hours of the Bank at 5.00 p.m., on Friday, 13th June, 2025.

- a. Duly filled in Declaration Form;
- b. Nominations from minimum of hundred shareholders entitled to participate in the election;
- c. Personal Information, Declaration and Undertaking (PDU form) in the formats annexed to the Notice together with the connected documents, testimonials, viz. self attested copies of a) Bio-data, b) Certificate of Educational Qualifications, c) Work Experience, etc.,

The said nomination forms and other documents should be complete in all respects failing which, the nominations are liable to be rejected.

H. SCRUTINY OF NOMINATIONS AND ELECTION OF DIRECTOR:

- a. Nominations shall be scrutinized on **Monday**, **16th June**, **2025** for conformity of the Nomination with the conditions as contained in the Regulations and in case any nomination is found not to be conforming, the same shall be rejected after recording the reasons thereof.
- b. Valid Nominations shall then be subjected to scrutiny by the Nomination & Remuneration Committee (NRC) of the Board / Board of Directors as the case may be, in terms of the RBI Directions and GOI Guidelines. As the restrictions imposed by RBI Direction/Notification and GOI Guidelines are similar in nature, the Bank may consider the stricter of the two while determining the Fit & Proper status of the Candidates.
- c. The Bank may at the time of Scrutiny of Nominations or as advised by the NRC / Board seek further information, documents from the Candidates in support of his/her candidature.
- d. If there is only **One candidate** who is found to be Fit & Proper by the NRC / Board the said candidate shall be deemed to be elected and shall assume office the next day. In such an event or in case no Candidate is found to be Fit & Proper by the NRC / Board, the agenda item no.5 will not be conducted at the AGM.
- e. If there are more than one Candidate found to be Fit & Proper by the NRC / Board, the names of the candidates shall be published on the Bank's website, CDSL E-voting Portal, newspapers and Election will be held. Candidate polling the majority of the votes will be declared as elected and his/her name will be announced and also published in newspapers.

I. WITHDRAWAL OF CANDIDATURE:

If any candidate desires to withdraw his nomination, he would be entitled to do so at any time but not later than 2.00 p.m. on **Wednesday**, **25th June**, **2025** by sending a signed letter addressed to Board Secretary, Investor Services Department, Bank of Maharashtra, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune - 411005 or scanned signed letter over e-mail at boardsec@mahabank.co.in or investor_services@mahabank.co.in

J. DISPUTES:

If there is any dispute, the same will be settled as per Regulation 67 of the Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004, as amended.

K. EXTRACTS:

Extracts of the relevant portions of the applicable Act / Scheme / Regulations / Notification/ Guidelines are available on Bank's website www.bankofmaharashtra.in for the benefit of the Shareholders. Shareholders desirous of contesting election may download the same or may write to the Company Secretary of the Bank at investor_services@mahabank.co.in to obtain copy thereof.

None of the Directors / Key Managerial Persons of the Bank is interested or concerned in the Election of Shareholder Director unless he / she decides to the contest the Elections

By order of Board of Directors

Date: 7th June, 2025

Place : Pune

(Vishal Sethia) Company Secretary

NOMINATION FORM

(By the Shareholder) (Refer Regulation 65 of the Regulations)

To,		
Bank of Maharashtra		
Head Office,	Sr. No.	
Lokmangal, 1501, Shivajinagar,		
Pune – 411005		
Dear Sir,		
Sub: Nomination	for Election of a Director	
With reference to your Notice dated 7 th June, 2025, I	equity shares of Rs.10/- each (fully paid up)	
a shareholder of Bank of Maharashtra, holding	equity shares of Rs.10/- each (fully paid up)	
as on Friday, 23rd May, 2025 (being the Specified I nominate Shri/Smt.	Date considered for participating in the election) do hereby	
son/daughter/wife of Shri/Smt	residing at	
in Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, at the Annual General Meeting of the Shareholders of the Bank to be held on Monday, 30th June, 2025.		
Name		
Signature		
No. of Shares held		
Regd. Folio No (If not Dematerialised)		
DP ID No. & Client ID No.(If Dematerialised)		
Place		
Date		

NOTES:

- 1. In case nomination is made by a Body Corporate, the nomination form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed by the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.
- 2. Signatures of the shareholders nominating the candidates should match with the specimen signatures available with Share Transfer Agent of the Bank.
- 3. If any of the columns above is left Blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to be rejected.

DECLARATION

(By the Candidate) (Refer Regulation 65 of the Regulations)

l, .	son / daughter / wife of Shri. /Smt, a resident ofhereby confirm that:
a.	I am a Shareholder holding equity shares of Rs.10/- each of the Bank as on
	Friday, 23rd May, 2025 i.e., the Specified Date for participating in the elections and will hold a minimum of 100 equity shares till the end of my tenure, if elected;
b.	I have special knowledge or practical experience in *(i) agriculture and rural economy, (ii) banking, (iii)
	co-operation, (iv) economics, (v) finance, (vi) law, (vii) small scale industry, or (viii) Information Technology (ix)
	Retail Banking (x) Human Resources Management (xi) Risk Management or any other special knowledge of and
	practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India, would be useful to the Bank) and I
	represent the interest of the depositors, or farmers, workers and artisans, in terms of sub-section 3A of Section
	9 of the Act and as an evidence thereof, I submit herewith the relevant testimonials;
c.	I accept the nominations numbered from to;
d.	I am willing to contest for the election of Director of Bank of Maharashtra;
e.	I am not disqualified from being a director of the Bank under the provisions of The Banking Companies
	(Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, The Nationalised Bank (Management and Miscellaneous
	Provisions) Scheme 1970, The Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations 2004, relevant
	notifications issued by RBI and Guidelines issued by GOI with regard to Non-Official Directors of Public Sector
	Banks;
f.	I neither hold any office of profit nor am I an employee of any Nationalised Bank or State Bank of India
	constituted under sub section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as
	defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959;
	I further declare that:
g.	I have not been at any time adjudicated as an insolvent or have suspended payment or has compounded with
	my creditors; and
h.	I have not been found of unsound mind and stands so declared by a competent court and have not been

- h. I have not been found of unsound mind and stands so declared by a competent court and have not been convicted by a Criminal Court of an offence which involves moral turpitude; and
- i. I have not been declared as proclaimed offender by any Economic Officer or Judicial Magistrate or High Court or any other court; and
- j. I will severe professional relationship, if any, with the Bank forthwith on getting elected and will not undertake any professional relationship with the Bank during my tenure as Director and for a period of two years thereafter; and
- k. I am not a member of the Board of any bank or the Reserve Bank or a Financial Institution (FI) or an Insurance Company or a NOFHC holding any other bank.
- I am not connected with hire purchase, financing, money lending, investment, leasing and other para banking activities;
- m. I have not served as director in the past on the board of any bank/FI/RBI/Insurance Company under any category for six years, whether continuously or intermittently.
- n. I am not engaging in the business of stock broking.
- O. I am not holding the position of a Member of Parliament or State Legislature or Municipal Corporation or Municipality or other local bodies (other local bodies means bodies such as Notified Area Council, City Council, Panchayat, Gram Sabha, Zila Parishad, etc.)
- P. I am not acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as a Statutory Central Auditor of any nationalized bank or State Bank of India.

- 9. I am not acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor of the Bank of Maharashtra in which nomination for election is filed.
- r. I neither have any business connection (including legal services, advisory services etc.) with the Bank of Maharashtra nor I am engaged in activities which might result in a conflict of business interests with Bank of Maharashtra.
- s. I am not having any professional relationship with a bank or any NOFHC holding any other bank and undertake sever the relationship with the Bank if elected before assuming charge as a director.
- t. I am not under adverse notice of any regulatory or supervisory authority/agency, or law enforcement agency and I am not defaulter of any lending institution.
- u. I undertake to execute Deed of Covenant (in the prescribed format of RBI Directions dated 02.08.2019) before assuming office as a director;
- V. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank; and
- w. I undertake to comply with the relevant provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, as amended till I hold the position as a Director of the Bank; and
- x. I enclose my personal details which are to the best of my knowledge and belief true and complete in all respects, and
- y. I give below the details of my present as well as past directorship details in other companies / banks:

Name of the Company/ Bank etc.	Directorship details viz., tenure, period etc.

z. I enclose my personal details which are to the best of my knowledge and belief are true and complete in all respects; and

The above declaration was signed before me.	
Name :	Signature with Seal
Date: Signature with Seal of Judge, Magistrate, Registrar or an officer of the Reserve Bank of India or (Bank of Ma * Tick whichever is applicable	Sub-Registrar of Assurance, or other Gazetted Officer or aharashtra or any Nationalised Bank).

(PDU FORM PRESCRIBED BY RBI)

Personal Information, Declaration and Undertaking Name of the Bank: Bank of Maharashtra

Affix passport size photo here

Sr. No.	Dec	claration & Undertaking by the Candidate with enclosures as ap	propriate as on2025
I.	Personal details of the candidate		
	1.	Full Name (in capital letters)	
	2.	Fathers Name (in Full)	
	3.	Gender	
	4.	Present address	
	5.	E-mail address & alternate e-mail address: Telephone Number with STD code: Mobile Number:	
	6.	Nationality	
	7.	Date of Birth	
	8.	Educational Qualifications	
		(Please attach self-attested copies of the certificates supporting the information).	
	9.	Director Identification Number	
	10.	Aadhar Number	
	11.	 Permanent Account Number under the Income Tax Act (please enclose a copy). Name and address of Income Tax Circle/Division where personal tax returns are being filed. Details of filing of return(s) and payment of taxes for past 3 years 	
	12.	Permanent address	
	13.	Details in the form of a brief write up on the relevant knowledge or experience in respect of one or more of the matters namely accountancy, agriculture and rural economy, banking, co-operation, economics, finance, law, small scale industry, information technology, payment and settlement systems, human resources, risk management, business management or any other matter the special knowledge of and practical experience of which would in the opinion of the Reserve Bank be useful to the Banking Company.	
	14.	Present occupation (designation, name of the organisation and brief write-up on experience)	
	15.	Previous occupation covering minimum of past ten years, with complete address of the organisation(s) worked in, date of joining, date of relieving (including reasons), designation, etc	

	16.	 In case a Chartered Accountant, indicate the following: a. In case a Chartered Accountant, indicate the following: b. (a) Membership Number of Institute of Chartered Accountants of India (ICAI): c. (b) Date of registration with the ICAI: d. (c) Name and Address of the registered firm/s: e. (d) Details of the Audit(s) presently undertaken by the firm(s) or by you: 	
	17.	Name of the banker(s) with Branch and Account Numbers (savings/current/loan accounts) where you are a primary account holder:	
	18.	Details of shareholding, if held in any entity, either in physical or dematerialized form, by you, spouse, and your minor child. (attach demat/shareholding certificate)	
	19.	Any other information relevant to directorship of the bank:	
II.	Rele	vant Relationships of proposed director	
	20.	List of relatives, [Refer Section 2(77) of the Companies Act, 2013 and Rule 4 of the Companies (Specification of Definition) Rules, 2014] if any, who are connected with any bank:	
	21.	 List of entities in which: a. interested [Refer Section 184 of the Companies Act, 2013]: b. beneficial ownership [Refer Section 89 of Companies Act, 2013 as also the applicable Significant Beneficial Ownership Rules of MCA]: c. Trustee (also mention any other relationship with reference to a trust): 	
	22.	List of entities, existing and proposed, in which holding	Name of Company/ Firm
		substantial interest within the meaning of Section 5(ne)4 of the Banking Regulation Act, 1949	Country of incorporation
		of the banking Regulation Act, 1545	Number of shares
			Face value of each shares
			Total face value of share holding
			Shareholding as % of total holding
			Beneficial interest
			Whether the entity is a
			Section 8 company under Companies Act, 2013
	23.	Details of holdings in entities incorporated abroad and having a place of business in India.	
	24.	Name of Bank/NBFC/any other company in which currently or in the past a member of the Board/ Advisor etc. (giving details of period during which such office is being/ was held).	

	25.	If connected with any entity undertaking hire purchase, financing, investment, leasing and other para banking activities (nature of association to be mentioned), details there of.	
	26.	If a stock broker or connected with any entity engaged in share broking activities, details thereof	
	27.	Details of fund and non-fund-based facilities, if any, presently availed in person and/or by entities listed in (21) to (26) above.	
	28.	Cases, if any, where as an individual or the entities listed at (21) to (26) above have defaulted or declared as willful defaulter in the past in respect of credit facilities obtained from a bank/NBFC/any other lending institution.	
III.	Reco	ords of professional achievements	
	29.	Professional achievements relevant for the directorship.	
IV.	V. Proceedings, if any, against the proposed director		
	30.	a. As a member of a professional association/body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past or whether been banned from entry at any profession/occupation at any time, details thereof.	
		 If subject of any written complaint or accusation regarding individual professional conduct or activities, details there of. 	
	31.	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction of self or the entities listed at (21) to (26) above for violation of economic laws and regulations.	
	32.	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction	
	33.	If indulged in any breach of AML/CFT guidelines, details thereof.	
	34.	If attracting any of the disqualifications envisaged under Section 164 of the Companies Act, 2013, details thereof.	
	35.	If adjudicated insolvent or has suspended payment or has compounded with creditors, details thereof.	

36.	If found to be of unsound mind and stands so declared by a competent Court, details thereof.	
37.	a. If convicted by a Criminal Court of an offence which involves moral turpitude or otherwise, details thereof.	
	b. If convicted by any Court of law, details thereof?	
38.	If holding any office of profit under any nationalised bank or State Bank of India, except for holding the post of a whole-time director, details thereof.	
39.	If as an individual or any of the entities at (21) to (26) above have been subject to any investigation/vigilance/matters of enquiry from any of the previous employers or government departments or agency, details thereof.	
40.	If found guilty of violation of rules/ regulations/ legislative requirements by customs/ excise/ income tax/ foreign exchange/ other revenue authorities, details thereof.	
41.	If reprimanded, censured, restricted, suspended, barred, enjoined, or otherwise sanctioned by any regulator such as SEBI, IRDAI, PFRDA etc., professional organisation, government agency, or court because of professional conduct or activities, details thereof. (Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings which have been later on reversed/ set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal/ setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, and not on merit. If the order is temporarily stayed and the appellate/ court	
Gene	eral Information	
42.	If a professional like Chartered Accountant, Advocate etc. and presently undertaking/ undertaken any professional work in any bank, provide details thereof including the name of the bank and period of association with the bank.	
43.	If a sitting MP/MLA/MLC or holding political position in Municipal Corporation or Municipality or other local bodies, provide details thereof	
	In the interest of disclosure and transparency, should there be any other information relevant for assessing 'fit and proper', provide details thereof.	
	37. 38. 39. 40. 41.	a. If convicted by a Criminal Court of an offence which involves moral turpitude or otherwise, details thereof. b. If convicted by any Court of law, details thereof? 38. If holding any office of profit under any nationalised bank or State Bank of India, except for holding the post of a whole-time director, details thereof. 39. If as an individual or any of the entities at (21) to (26) above have been subject to any investigation/vigilance/matters of enquiry from any of the previous employers or government departments or agency, details thereof. 40. If found guilty of violation of rules/ regulations/legislative requirements by customs/ excise/ income tax/ foreign exchange/ other revenue authorities, details thereof. 41. If reprimanded, censured, restricted, suspended, barred, enjoined, or otherwise sanctioned by any regulator such as SEBI, IRDAI, PFRDA etc., professional organisation, government agency, or court because of professional conduct or activities, details thereof. 41. If reprimanded, censured, restricted, suspended, barred, enjoined, or otherwise sanctioned by any regulator such as SEBI, IRDAI, PFRDA etc., professional organisation, government agency, or court because of professional conduct or activities, details thereof. 41. If reprimanded, censured, restricted, suspended, barred, enjoined, or otherwise sanctioned by any regulator such as SEBI, IRDAI, PFRDA etc., professional organisation, government agency, or court because of professional conduct or activities, details thereof. 42. If a professional not on reprise the reversal/ setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, and not on merit. If the order is temporarily stayed and the appellate/ court 42. If a professional work in any bank, provide details thereof including the name of the bank and period of association with the bank. 43. If a sitting MP/MLA/MLC or holding political position in Municipal Corporation or Municipality or other local bodies, provide details there

UNDERTAKING

I confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief, true and complete. I undertake to keep the bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place after my appointment which are relevant to the information provided above.

I also undertake to execute	a Deed of Covenant	r as required to be execute	ed with the Bank.
Place :			

Date : Signature of Candidate

Enclosures:

- 1. Wherever space is not sufficient, please attach the information as annexures in chronological order and with appropriate cross reference.
- 2. Each page (including annexures) is required to be signed by the candidate.

Remarks of Nomination and Remuneration Committee (NRC) / Board of having satisfied itself that the above information is true and complete.	
Date:	
Place:	Signature of the Chair of the NRC / Board

GREEN INITIATIVE IN CORPORATE GOVERNANCE - GO PAPERLESS!!!

Dear Shareholder.

The Ministry of Corporate Affairs, Government of India ('Ministry'), has recently taken a "Green Initiative in Corporate Governance" by allowing paperless compliances by companies through electronic mode. In terms of the recent circulars bearing no. 17/2011, dated 21.04.2011 and 18/2011 dated, 29.04.2011, whereby companies can now send various notices/ documents (e.g. Notice of AGM, Annual Reports etc.) to their shareholders through electronic mode at the registered e-mail addresses of the shareholders. It is a welcome move for the Bank, Shareholders and Society at large as it will facilitate faster communication and reduce paper consumption to a great extent and allow shareholders to contribute towards the greener environment.

Advantages of Registering for E-Communication:

- Receive communication promptly;
- Reduce paper consumption and save trees;
- Avoid loss of document in postal transit;
- Save costs on paper and postage.

This is also a golden opportunity for every Shareholder of Bank of Maharashtra (the Bank) to contribute to this green initiative.

Below are the requirements for availing this facility:

- For shareholders having shares in physical mode: Please get your e-mail ID registered with the Bank/ RTA to receive communication(s) through electronic mode in future, by filing up the Email ID Registration form given in AGM Notice and send it back to the Registrar & Transfer Agent duly filled in and signed.
- For shareholders having shares in dematerialized mode: Please update your email ID with your Depository Participant(s) or Bank.

Kindly note that, if you still wish to get a hard copy/ physical copy of all the communication and documents, the Bank will provide the same at no extra cost to you.

You can also download the Email ID Registration form from our website https://www.bankofmaharashtra.in/Share-holders-Meeting-Updates.asp

Looking forward to your active participation in this green initiative.

Thanking you. Yours sincerely, For Bank of Maharashtra

Sd/-(Vishal Sethia) Company Secretary

Email ID Registration form

To

MCS Share Transfer Agent Limited (RTA) Unit: Bank of Maharashtra

Address: 3B3 3rd Floor Gundecha Onclave,

Kherani Road , Sakinaka Andheri (E) , Mumbai - 400072

Tel. 022 - Phone: 022-28516021-22

E-mail: helpdeskmum@mcsregistrars.com / mparase@mcsregistrars.com

Website: www.mcsregistrars.com

Dear Sir/ Madam,

Sub: Registration of Email ID

I agree to receive all future shareholders communication like Notice, Explanatory Statement/ Annual Report/ Documents etc. from the Bank in electronic mode. Please register my e-mail id in your records for sending all the notices / documents etc. through e-mail.

1) First / Sole Shareholder's name:	
2) Registered Folio No/ DP ID & Client ID.:	
3) Address:	
4) Email ID:	
5) Contact Nos.:	

Notes: 1) Shareholders are requested to keep Bank informed as and when there are any changes in the email address. Unless the e-mail Id given is changed by you, by sending another communication in writing, the Bank will continue to send the Notice, Explanatory Statement/ Annual Report/ documents etc. to you on the above mentioned e-mail ID. 2) If shares are held in electronic mode, kindly register your e-mail ID with your DP.

I hereby declare that the particulars given above are correct and complete.

Place:

(signature of Shareholder)

प्रधान कार्यालय :"लोकमंगल", 1501, शिवाजीनगर, पुणे – 411 005 **Head Office:** "Lokmangal", 1501, Shivajinagar, Pune – 411005

टेली/ Tel.: 022-25511360

ई-मेल/ E-mail: investor_services@mahabank.co.in वेबसाइट/ Website: www.bankofmaharashtra.in